# मंथली पॉलिसी रिव्यू

## जनवरी 2021

## इस अंक की झलकियां

**संसद का बजट सत्र 2021 शुरू (पेज 2)**

सत्र के दौरान 33 दिन बैठक होगी और यह दो चरणों में संचालित किया जाएगा। 10 लंबित बिल चर्चा और पारित होने के लिए सूचीबद्ध हैं। इसके अतिरिक्त 20 बिल्स पेश किए जाएंगे जिन्हें चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

**आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 संसद के पटल पर रखा गया (पेज 6)**

2021-22 में नॉमिनल और रियल जीडीपी में क्रमशः 15.4% और 11% की वृद्धि का अनुमान है।

**राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार की मुख्य उपलब्धियों का उल्लेख (पेज 2)**

अभिभाषण में कोविड-19 के प्रबंधन और अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों जैसे कृषि, मैन्यूफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा में सरकार की मुख्य नीतिगत उपलब्धियों और लक्ष्यों का लेखा-जोखा था।

**2020-21 में जीडीपी में 7.7% संकुचन का अनुमान (पेज 7)**

प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 2020-21 में जीडीपी (स्थिर मूल्यों पर) में 7.7% के संकुचन का अनुमान है। कृषि और यूटिलिटीज़ को छोड़कर सभी क्षेत्रों में नकारात्मक वृद्धि का अनुमान है।

**कोविशील्ड और कोवैक्सीन को आपातकालीन स्थितियों में सीमित उपयोग के लिए मंजूरी (पेज 3)**

सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने दो वैक्सीन को आपातकालीन स्थितियों में सीमित उपयोग के लिए मंजूरी दी है: (i) सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, और (ii) भारत बायोटेक की कोवैक्सीन।

**देशव्यापी लॉकडाउन 28 फरवरी, 2021 तक बढ़ाया गया (पेज 4)**

कंटेनमेंट जोन्स में लॉकडाउन जारी रहेगा। अन्य स्थानों पर कुछ गतिविधियों (जैसे बड़े जमावड़ों) को छोड़कर सभी की अनुमति होगी जोकि मंत्रालयों और राज्यों द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के अधीन होंगी।

**सर्वोच्च न्यायालय ने 2020 में लागू तीन कृषि कानूनों पर स्टे दिया (पेज 8)**

अदालत ने कहा कि कृषि कानूनों को लागू करने पर स्टे देने से किसानों की आहत भावनाएं शांत हो सकती हैं और वे पूरे भरोसे के साथ बातचीत को तैयार हो सकते हैं। अदालत ने बातचीत के लिए एक एक्सपर्ट कमिटी भी बनाई।

**2020-21 की तीसरी तिमाही में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति 6.4% रही (पेज 7)**

सीपीआई मुद्रास्फीति अक्टूबर 2020 में 7.6% से गिरकर दिसंबर 2020 में 4.6% हो गई। अक्टूबर से दिसंबर के बीच खाद्य मुद्रास्फीति 11% से गिरकर 3.4% हो गई। डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति इस अवधि के दौरान औसत 1.4% रही।

**आधार एक्ट, 2016 के अंतर्गत यूनीक हेल्थ आईडेंटिफायर नियम, 2021 अधिसूचित (पेज 9)**

यूनीक हेल्थ आईडी आधार सत्यापन पर आधारित और स्वैच्छिक होगा। इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के विभिन्न हेल्थ आईटी एप्लिकेशंस के अंतर्गत हेल्थ डेटा जमा करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

**कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने प्री-पैकेज्ड इनसॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन प्रक्रिया पर रिपोर्ट जारी की (पेज 16)**

प्री-पैकेज्ड इनसॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन प्रक्रिया आईबीसी के अंतर्गत एक वैकल्पिक रेज़ोल्यूशन फ्रेमवर्क प्रदान करेगी। इससे देनदार और लेनदार इनसॉल्वेंसी की फाइलिंग से पहले स्ट्रेस के रेज़ोल्यूशन के लिए योजना बना सकेंगे।



**PRS Legislative Research** ■ Institute for Policy Research Studies
3rd Floor, Gandharva Mahavidyalaya ■ 212, Deen Dayal Upadhyaya Marg ■ New Delhi – 110002
Tel: (011) 43434035, 23234801 ■ www.prsindia.org

**जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अध्यादेश जारी (पेज 11)**

अध्यादेश एजीएमयूटी में जम्मू और कश्मीर के मौजूदा प्रशासनिक कैडर का विलय करता है (एजीएमयूटी अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा तथा अन्य सभी केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासनिक कैडर है)।

**आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना अधिसूचित (पेज 19)**

केंद्र सरकार दो वर्षों के लिए नए कर्मचारियों का पीएफ अंशदान चुकाएगी (कर्मचारी और नियोक्ता, दोनों की ओर से)। हालांकि 1,000 से अधिक कर्मचारियों वाले इस्टैबलिशमेंट्स के लिए सिर्फ कर्मचारियों के अंशदान को वित्त पोषित किया जाएगा।

## संसद

*Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)*

### संसद का बजट सत्र 2021 शुरू

संसद का बजट सत्र 29 जनवरी, 2021 को शुरू हो गया। सत्र के दौरान 33 दिन बैठक होगी और यह दो चरणों में संचालित किया जाएगा। पहला चरण 29 जनवरी, 2021 से शुरू हुआ है जोकि 15 फरवरी, 2021 को समाप्त होगा, और फिर दूसरा चरण 8 मार्च, 2021 से 8 अप्रैल, 2021 के बीच संचालित होगा।[1]

सत्र संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू हुआ है। वित्त मंत्री 1 फरवरी, 2021 को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट भी पेश होने की उम्मीद है।

वर्तमान में संसद में 36 बिल लंबित हैं। इनमें से 10 बिल चर्चा और पारित होने के लिए सूचीबद्ध हैं। इनमें डीएनए टेक्नोलॉजी (प्रयोग और लागू होना) रेगुलेशन बिल, 2019, फैक्टरिंग रेगुलेशन (संशोधन) बिल, 2020 और माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण (संशोधन) बिल, 2019 शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त 20 बिल्स पेश किए जाएंगे जिन्हें चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इनमें प्रतिस्पर्धा (संशोधन) बिल, 2021, आर्बिट्रेशन और कंसीलिएशन (संशोधन) बिल, 2021 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) बिल, 2021 शामिल हैं।

लेजिसलेटिव एजेंडा के अधिक विवरण के लिए कृपया यहां देखें।

### राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख

भारत के राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने 29 जनवरी, 2021 को संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया। उन्होंने अपने अभिभाषण में सरकार की प्रमुख नीतिगत उपलब्धियों को रेखांकित किया। अभिभाषण के मुख्य अंश निम्नलिखित हैं:

- **कोविड-19:** भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम चला रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत दोनों वैक्सीन घरेलू स्तर पर बनाई गई हैं। भारत ने 2,200 लैब्स का नेटवर्क विकसित किया है, तथा घरेलू स्तर पर हजारों वेंटिलेटर्स, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (पीपीई) किट्स, तथा टेस्ट किट्स बनाई हैं।
- **अर्थव्यवस्था**: अप्रैल और अगस्त 2020 के बीच भारत में 36 बिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया गया है।
- **स्वास्थ्य**: आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 1.5 लाख गरीब लोगों को पांच लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिला है और 30,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है।
- **कृषि**: तीन कृषि बिल: (i) किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) बिल, 2020, (ii) मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता बिल, 2020 और (iii) अनिवार्य वस्तुएं (संशोधन) बिल, 2020 पारित किए गए। एमएसपी को उत्पादन

लागत का न्यूनतम डेढ़ गुना बढ़ा दिया गया।

- **मैन्यूफैक्चरिंग**: चार श्रम संहिताएं पारित की गईं जिनमें 29 केंद्रीय श्रम कानून सम्मिलित हैं। 10 मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्रों में 1.5 लाख करोड़ मूल्य की प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव स्कीम को लागू किया गया है।
- **रोजगार**: छह राज्यों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया गया और अपने गांवों में लौटने वाले प्रवासी मजदूरों को 50 करोड़ मानव दिवस के बराबर रोजगार मिला।
- **सुरक्षा**: भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है।
- **इंफ्रास्ट्रक्चर**: 110 लाख करोड़ रुपए मूल्य की नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को देश भर में लागू किया गया है।
- **ऊर्जा**: 2013-14 से भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता 2.5 गुना बढ़ चुकी है और सौर ऊर्जा क्षमता 13 गुना। इसके अतिरिक्त भारत के ऊर्जा उत्पादन में एक चौथाई हिस्सा अक्षय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होता है।
- **महिलाएं**: जन धन योजना के अंतर्गत महिलाओं के खातों में 31,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत महिला लाभार्थियों को 14 करोड़ गैस सिलिंडर मुफ्त दिए गए हैं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण के सारांश के लिए कृपया देखें। पिछले वर्ष यानी 2020 में राष्ट्रपति के अभिभाषण के विश्लेषण के लिए कृपया देखें।

## कोविड-19

31 जनवरी, 2021 तक भारत में कोविड-19 के 1,07,20,048 पुष्ट मामले थे।[2] इनमें से 1,04,23,125 मरीजों का इलाज हो चुका है/उन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है और 1,54,274 की मृत्यु हुई है।[2] 31 जनवरी, 2021 तक 37,44,334 लोगों को टीके (वैक्सीन) लग चुके हैं।[2] देश और विभिन्न राज्यों में दैनिक मामलों की संख्या के लिए कृपया यहां देखें।

केंद्र सरकार ने महामारी की रोकथाम के लिए अनेक नीतिगत फैसलों और इससे प्रभावित नागरिकों और व्यवसायों को मदद देने हेतु वित्तीय उपायों की घोषणा की है। केंद्र और राज्यों द्वारा जारी मुख्य अधिसूचनाओं के विवरण के लिए कृपया यहां **देखें**। जनवरी 2021 में इस संबंध में मुख्य घोषणाएं इस प्रकार हैं।

### सीमित आपातकालीन उपयोग के लिए दो वैक्सीन्स को मंजूरी

*Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)*

सबजेक्ट एक्सपर्ट कमिटी के सुझावों के आधार पर सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन (सीडीएससीओ) ने दो वैक्सीन्स को सीमित आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है।[3] ये वैक्सीन्स हैं: (i) सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे की कोविशील्ड, और (ii) नेशनल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी पुणे के सहयोग से बनी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन।

कोविशील्ड के उपयोग को आपातकालीन स्थितियों में उपयोग के लिए मंजूरी मिली है जोकि रेगुलेटरी शर्तों के अधीन होगा। कमिटी ने सुझाव दिया था कि कोवैक्सीन का उपयोग क्लिनिकल ट्रायल मोड में किया जा सकता है ताकि वैक्सीन्स के लिए अनेक विकल्प हों, विशेष रूप से म्यूटेंट स्ट्रेन्स के संक्रमण के मामले में।

सीडीएससीओ ने कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड को भी उसके नॉवेल कोरोना वायरस-2019 एनकोव-वैक्सीन (Novel Corona Virus-2019-nCov-Vaccine) के तीसरे चरण के ट्रायल को मंजूरी दे दी है।

वैक्सीनेशन कार्यक्रम को 16 जनवरी को शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम में हेल्थकेयर वर्कर्स

और फ्रंटलाइन वर्कर्स (जोकि करीब तीन करोड़ लोग हैं), और उसके बाद 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और को-मॉरबिडिटी वाले युवाओं (करीब 27 करोड़ लोग) को वरीयता दी जाएगी।[4]

## लॉकडाउन 28 फरवरी तक बढ़ाया गया

*Saket Surya (saket@prsindia.org)*

कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी (एनडीएमए) ने मार्च में 21 दिनों का देशव्यापी लॉकडाउन किया था।[5] इसके बाद लॉकडाउन को 12 बार बढ़ाया गया है जोकि इस बार 28 फरवरी, 2021 तक लागू है।[6] हालिया दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **सर्विलांस और कंटेनमेंट**: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर विचार के बाद कंटेनमेंट जोन्स में लॉकडाउन चालू रहेगा, जिन्हें जिला प्रशासन ने सीमांकित किया है। कंटेनमेंट जोन्स में मंत्रालय द्वारा निर्धारित रोकथामकारी उपायों का पालन किया जाएगा।
- **सोप्स का अनुपालन**: कंटेनमेंट जोन्स के बाहर के क्षेत्रों में विभिन्न मंत्रालयों द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स (सोप्स) के आधार पर कुछ गतिविधियों की अनुमति होगी। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) गृह मामलों के मंत्रालय की सलाह से नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा निर्धारित अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, (ii) गृह मामलों के मंत्रालय की सलाह से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी सोप्स के अधीन, सिनेमा घर और थियेटर, (iii) गृह मामलों के मंत्रालय की सलाह से युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा जारी सोप्स के अधीन, स्विमिंग पूल्स, और (iv) संबंधित राज्य द्वारा जारी सोप्स के अधीन, धार्मिक, राजनैतिक, खेल संबंधी, शैक्षणिक और सांस्कृतिक जमावड़े।
- **कोविड अनुकूल व्यवहार**: राज्यों को कोविड अनूकुल (उपयुक्त) व्यवहार (जैसे मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग) को बढ़ावा देने के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। कार्यस्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर कोविड-19 के प्रबंधन के लिए दिशानिर्देशों को जारी रखना अनिवार्य है। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर अनिवार्य रूप से फेस कवर लगाना, और (ii) सभी कार्यस्थलों पर काम के अलग-अलग घंटे।
- **व्यापार पर प्रतिबंध**: इसके अतिरिक्त व्यक्तियों और वस्तुओं की राज्यों के भीतर या राज्यों के बीच की आवाजाही पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता और इसमें पड़ोसी देशों के साथ लैंड बॉर्डर ट्रेड (संधियों के आधार पर) के जरिए आने वाले भी शामिल हैं।

## युनाइडेट किंगडम से उड़ानों के संचालन के लिए सोप्स जारी किए गए

*Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)*

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने युनाइटेड किंगडम (यूके) और भारत के बीच 8 जनवरी, 2021 और 30 जनवरी, 2021 के दौरान हवाई उड़ानों के संचालन के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (सोप) जारी किए हैं।[7] ये सोप नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा अनुमत सीमित उड़ानों के संचालन पर लागू होंगे। यूके में सार्स-कोवि-2 (SARS-CoV-2) वायरस के नए वेरिएंट के पता लगने के कारण यह कदम उठाया गया है। दिसंबर 2020 में भी सोप जारी किए गए थे जिसमें देश में प्वाइंट ऑफ इंट्री (दाखिल होने पर) के लिए जरूरी कदमों का प्रावधान था, जैसे 25 नवंबर, 2020 और 23 दिसंबर, 2020 के दौरान यूके से आने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का अनिवार्य आरटी-पीसीआर टेस्ट।[8] सोप्स की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **सीमित उड़ानें**: यूके से आने और जाने वाली उड़ानों की अनुमति सिर्फ (i) दिल्ली, (ii) मुंबई, (iii) बेंगलूरू, (iv) हैदराबाद और (v) चेन्नई के अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों से होगी। यूके और भारत के बीच उड़ान संचालन केवल डीजीसीए द्वारा अनुमत पात्र एयरलाइन्स से किया जा सकता है। डीजीसीए यह भी सुनिश्चित करेगा कि एयरलाइन्स किसी तीसरे देश के ट्रांसिजरी हवाईअड्डे के जरिए यूके से भारत आने वाले किसी व्यक्ति को यात्रा की मंजूरी न दे।
- **टेस्टिंग और आइसोलेशन**: यूके से आने वाले सभी यात्रियों को (i) शेड्यूल्ड यात्रा से कम से कम 72 घंटे पहले ऑनलाइन सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करना होगा, (ii) नेगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट लेकर चलना होगा, और (iii) भारतीय हवाईअड्डे पहुंचने पर सेल्फ पेड आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना होगा। नेगेटिव टेस्ट करने वालों को 14 दिन के लिए घर में क्वारंटाइन रहने की सलाह दी जाएगी।
- पॉजिटिव पाए जाने वाले यात्रियों को राज्य अथॉरिटी द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन फेसिलिटी में आइसोलेट किया जाना चाहिए। पॉजिटिव सैंपल्स को सार्स-कोवि-2 (SARS-CoV-2) के नए वेरिएंट का पता लगाने के लिए भारतीय सार्स कोवि-2 (SARS-CoV-2) जेनोमिक्स कंसोर्टियम लैब्स में भी भेजा जाना चाहिए।

4 जनवरी, 2021 तक 38 सैंपल्स नए वेरिएंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट हुए थे।[9]

## अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर फरवरी 2021 तक प्रतिबंध जारी

*Aditya Kumar (aditya@prsindia.org)*

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने भारत आने और जाने वाली अधिसूचित अंतरराष्ट्रीय कमर्शियल यात्री उड़ानों पर 28 फरवरी, 2021 तक प्रतिबंध जारी रखने की घोषणा की है।[10] इससे पूर्व यह प्रतिबंध 31 जनवरी, 2021 तक था।[11]

ये प्रतिबंध डीजीसीए द्वारा विशेष रूप से मंजूर अंतरराष्ट्रीय ऑल-कार्गो संचालन और उड़ानों पर लागू नहीं है। अंतरराष्ट्रीय अधिसूचित उड़ानों को मामला दर मामला आधार पर चयनित मार्गों पर उड़ान भरने की अनुमति दी जा सकती है।

## घरेलू उड़ानों के एयर फेयर की सीमा की वैधता बढ़ाई गई

*Aditya Kumar (aditya@prsindia.org)*

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयर फेयर की सीमा की वैधता 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाई है।[12] इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने मिड फेयर (न्यूनतम और मध्यम के बीच किराया) पर बेचे जाने वाले टिकटों की संख्या की न्यूनतम सीमा कम करके 20% कर दी है। कोविड-19 महामारी के दौरान घरेलू उड़ानों के आंशिक संचालन को आसान बनाने के लिए मंत्रालय ने मई 2020 में उड़ान अवधि के आधार पर क्षेत्रों को निर्दिष्ट किया था और इन क्षेत्रों के लिए न्यूनतम और अधिकतम किराए तय किए थे।[13,14] इससे पूर्व एयर फेयर की सीमा की वैधता 24 फरवरी, 2021 तक थी और उड़ान के कम से कम 40% टिकटों को मिड फेयर से कम पर बेचे जाने को कहा गया था।[15]

## पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 में संशोधन किया गया

*Aditya Kumar (aditya@prsindia.org)*

कोविड-19 महामारी के असर के मद्देनजर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 में संशोधन किए हैं।[16] संशोधन में निर्दिष्ट किया गया है कि 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 के बीच की अवधि निम्नलिखित की वैधता अवधि की गणना में शामिल नहीं की जाएगी: (i) पूर्व पर्यावरणीय मंजूरियां, और (ii) संदर्भ की शर्तें। उदाहरण के लिए खनन प्रॉजेक्ट्स को मंजूरी की वैधता 30 वर्ष होती है।[17] संशोधन में

निर्दिष्ट अवधि खनन प्रॉजेक्ट्स की इस 30 वर्ष की वैधता अवधि में शामिल नहीं होगी।

निर्माण या संबंधित गतिविधियों (जैसे आधुनिकीकरण और विस्तार) को शुरू करने से पहले सभी प्रॉजेक्ट्स को संबंधित रेगुलेटरी अथॉरिटी (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, या राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की पर्यावरण प्रभाव आकलन अथॉरिटी) से मंजूरी हासिल करनी होती है। यह मंजूरी पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी कहलाती है। इन प्रॉजेक्ट्स में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) खनिजों का खनन, (ii) कोल वॉशरीज़ और (iii) थर्मल पावर प्लांट्स।[17]

प्रॉजेक्ट्स को मंजूरी देने के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन करते समय रेगुलेटरी अथॉरिटी आवेदक को निर्देश दे सकती है कि वे प्रक्रिया में चिन्हित प्रासंगिक पर्यावरणीय चिंताओं को कैसे दूर करेंगे, इसका जिक्र करें। इन निर्देशों को संदर्भ की शर्तें कहा जाता है।

## समष्टि आर्थिक (मैक्रोइकोनॉमिक) विकास

### आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 संसद के पटल पर रखा गया

*Aditya Kumar (aditya@prsindia.org)*

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 29 जनवरी, 2021 को आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 को पटल पर रखा।[18] सर्वेक्षण की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- **सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और राजकोषीय घाटा**: 2021-22 में नॉमिनल जीडीपी में 15.4% और रियल जीडीपी में 11% वृद्धि का अनुमान है। 2019-20 के दौरान जीडीपी में 4.2% की वृद्धि के विपरीत 2020-21 के दौरान जीडीपी में 7.7% की गिरावट का अनुमान है।

  अप्रैल-नवंबर 2020 के बीच राजकोषीय घाटा बजट अनुमान का 135.1% था (अप्रैल से नवंबर 2019 के बीच 114.8% के बजट अनुमान से अधिक)।

- **मौजूदा खाता अधिशेष**: 2020-21 की पहली छमाही में मौजूदा खाता अधिशेष जीडीपी का 3.1% था। सर्वेक्षण में उम्मीद जताई गई है कि 2020-21 के अंत तक मौजूदा खाता अधिशेष जीडीपी का कम से कम 2% होगा। अगर यह लक्ष्य हासिल कर लिया गया तो यह मौजूदा खाता घाटा के 17 वर्ष के रुझान को तोड़ देगा। माल आयात में कमी और यात्रा सेवाओं पर निम्न व्यय के कारण यह अधिशेष हुआ है, चूंकि मौजूदा भुगतान में गिरावट (30.8%), प्राप्तियों में हुई गिरावट (15.1%) से अधिक है।

- **क्षेत्रगत वृद्धि**: 2020-21 में कृषि की वृद्धि दर 3.4% अनुमानित है। उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में वर्ष के दौरान क्रमशः 9.6% और 8.8% की गिरावट का अनुमान है।

- **सार्वजनिक स्वास्थ्य पर व्यय:** सर्वेक्षण में कहा गया है कि विश्व के जिन देशों में कुल स्वास्थ्य व्यय में आउट ऑफ पॉकेट (वहन न करने लायक) खर्च का स्तर काफी अधिक है, उनमें भारत का भी शुमार होता है (65%)। सर्वेक्षण में कहा गया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को जीडीपी के 1% से बढ़ाकर 2.5-3% करने पर आउट ऑफ पॉकेट व्यय 65% से घटकर 30% हो सकता है।

- **संप्रभु क्रेडिट रेटिंग**: सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की क्रेडिट रेटिंग जीडीपी वृद्धि, मुद्रास्फीति, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सरकारी ऋण, इत्यादि के लिहाज से देश के मूल तत्वों को नहीं दर्शाती। इसमें कहा गया है कि भारत और चीन जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं की रेटिंग्स के साथ पक्षपात किया जाता है। क्रेडिट रेटिंग्स डीफॉल्ट की संभावना को प्रदर्शित करती हैं, यह कि उधारकर्ता ऋण चुकाने का इच्छुक और उसके लायक है। निचले स्तर की संप्रभु

क्रेडिट रेटिंग का विदेशी निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

## 2020-21 में जीडीपी में 7.7% का संकुचन

*Madhunika Iyer (madhunika@prsindia.org)*

प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 2019-20 की तुलना में 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) (2011-12 के स्थिर मूल्यों पर) में 7.7% के संकुचन का अनुमान है।[19] 2020-21 की पहली और दूसरी तिमाही में जीडीपी में पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले क्रमशः 23.9% और 7.5% का संकुचन हुआ।[20,21] 2019-20 में जीडीपी की वृद्धि 4.2% थी।

**रेखाचित्र 1: जीडीपी में वृद्धि (%, वार्षिक)**

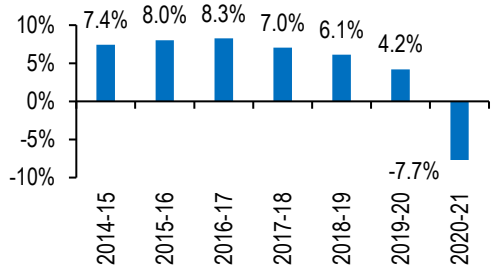


Sources: Ministry of Statistics and Programme Implementation; Ministry of Commerce & Industry; PRS.

आर्थिक क्षेत्रों में जीडीपी का मूल्यांकन सकल मूल्य संवर्धन (जीवीए) के आधार पर किया जाता है। केवल कृषि और यूटिलिटीज़ (बिजली और जलापूर्ति) में 2020-21 के दौरान सकारात्मक वृद्धि की उम्मीद है। सबसे अधिक संकुचन जिन क्षेत्रों में हुआ है, वे व्यापार एवं हॉस्पिटैलिटी, निर्माण, खनन और मैन्यूफैक्चरिंग है। तालिका 1 में जीवीए में क्षेत्रगत वृद्धि का विवरण दिया गया है।

**तालिका 1: क्षेत्रगत वृद्धि (%, वार्षिक)**

| क्षेत्र | 2019-20 | | 2020-21 |
|---|---|---|---|
| | एफएई | पीई | एफएई |
| **कृषि** | 2.8% | 4.0% | 3.4% |
| **खनन** | 1.5% | 3.1% | -12.4% |
| **मैन्यूफैक्चरिंग** | 2.0% | 0.03% | -9.4% |
| **बिजली** | 5.4% | 4.1% | 2.7% |
| **निर्माण** | 3.2% | 1.3% | -12.6% |
| **व्यापार** | 5.9% | 3.6% | -21.4% |
| **वित्तीय सेवा** | 6.4% | 4.6% | -0.8% |
| **सार्वजनिक सेवा** | 9.1% | 10.0% | -3.7% |
| **जीवीए** | **4.9%** | **3.9%** | **-7.2%** |
| **जीडीपी** | **5.0%** | **4.2%** | **-7.7%** |

नोट: जीवीए टैक्स और सबसिडी के बिना स्थिर मूल्यों (आधार वर्ष 2011-12) पर जीडीपी होता है। एफएई- प्रथम अग्रिम अनुमान, पीई- अनंतिम अनुमान।
Sources: Ministry of Statistics and Programme Implementation; PRS.

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए लॉकडाउन के कारण आंकड़े एकत्र करने के कार्य पर असर हुआ था।[19] आंकड़ों में जबरदस्त परिवर्तन हो सकता है।

## 2020-21 की तीसरी तिमाही में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 6.4%

*Madhunika Iyer (madhunika@prsindia.org)*

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति (आधार वर्ष: 2011-12, वर्ष दर वर्ष) 2019 की तीसरी तिमाही के मुकाबले 2020-21 में उसी अवधि (अक्टूबर से दिसंबर 2020) के दौरान 6.4% थी।[22] 2019-20 की तीसरी तिमाही (पिछले वर्ष की इसी तिमाही) में मुद्रास्फीति 5.8% थी। 2020-21 की दूसरी तिमाही (पिछली तिमाही) में मुद्रास्फीति 6.9% थी।

अक्टूबर 2020 में खाद्य मुद्रास्फीति 11% से घटकर दिसंबर 2020 में 3.4% हो गई, जो 2020-21 की तीसरी तिमाही के लिए 7.9% थी। यह 2019-20 की तीसरी तिमाही में 10.7% की मुद्रास्फीति और 2020-21 की दूसरी तिमाही में 9.7% की मुद्रास्फीति से कम है।

थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) मुद्रास्फीति 2020-21 की तीसरी तिमाही में 1.4% थी, 2019-20 की तीसरी तिमाही में मुद्रास्फीति 1.1% से अधिक और 2020-21 की दूसरी तिमाही में मुद्रास्फीति 0.4% से अधिक थी।[23]

**रेखाचित्र 2: 2020-21 की तिमाही में मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियां (परिवर्तन का %, वर्ष दर वर्ष में)**

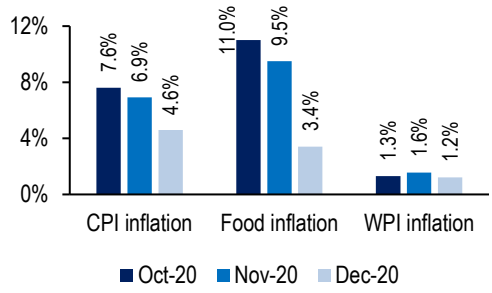


नोट: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार, उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक में मुद्रास्फीति खाद्य मुद्रास्फीति होती है।

Sources: Ministry of Statistics and Programme Implementation; Ministry of Commerce & Industry; PRS.

## कृषि

*Suyash Tiwari (suyash@prsindia.org)*

### सर्वोच्च न्यायालय ने 2020 में लागू तीन केंद्रीय कृषि कानूनों पर स्टे लगाया

सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित केंद्रीय कृषि कानूनों पर स्टे लगाया है: (i) किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) बिल, 2020, (ii) मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता बिल, 2020 और (iii) अनिवार्य वस्तुएं (संशोधन) बिल, 2020।[24] इन तीन कानूनों को सितंबर 2020 में अधिनियमित किया गया था और ये 5 जून, 2020 से लागू हुए थे। ये तीनों कानून सामूहिक रूप से: (i) विभिन्न राज्य एपीएमसी कानूनों के अंतर्गत अधिसूचित बाजारों के बाहर कृषि उपज का बाधा मुक्त व्यापार करने, (ii) कॉन्ट्रैक्ट खेती के लिए फ्रेमवर्क बनाने, और (iii) कृषि उपज की स्टॉक लिमिट तय करने, केवल तभी जब रीटेल कीमतों में जबरदस्त बढ़ोतरी हो, का प्रयास करते हैं।।[25,26,27]

सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित के संबंध में याचिकाएं दायर की गई थीं: (i) तीनों कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती, (ii) कानूनों और किसानों के लिए उनके लाभ की संवैधानिक वैधता को समर्थन, और (iii) दिल्ली की सीमा के निकट किसानों द्वारा रास्ता रोके जाने (कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए) को चुनौती क्योंकि इससे अन्य लोगों के आजादी से आवाजाही और अपना काम करने के मूलभूत अधिकार का उल्लंघन होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच कई दौर की वार्ता (किसानों के मुद्दों को हल करने के लिए) के बावजूद समस्या का कोई हल दिखाई नहीं देता।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत के लिए एक्सपर्ट कमिटी का गठन करने से माहौल सौहार्दपूर्ण हो सकता है और किसानों का भरोसा बढ़ सकता है। उसने यह भी कहा कि तीनों कृषि कानूनों पर स्टे लगाने से आहत किसान शांत हो सकते हैं। इससे वे विश्वास और नेक नीयत से बातचीत को प्रेरित हो सकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित के संबंध में अंतरिम आदेश पारित किया: (i) अगले आदेश तक तीनों कानूनों को लागू करने पर स्टे, और (ii) कानूनों पर किसानों की शिकायतों और सरकार के विचार को सुनने के लिए एक्सपर्ट कमिटी का गठन जो इस संबंध में अपने सुझाव देगी। उसने चार सदस्यों वाली एक कमिटी का गठन किया: (i) बी. एस. मान, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय किसान संघ और अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति (इस्तीफा दे दिया), (ii) डॉ. पी. के. जोशी, निदेशक दक्षिण एशिया, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, (iii) डॉ. अशोक गुलाटी, कृषि अर्थशास्त्री, और (iv) अनिल घनवट, अध्यक्ष, शेतकारी संगठन।[28] कमिटी दो महीने में सर्वोच्च न्यायालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

कृषि कानूनों पर पीआरएस विश्लेषण के लिए कृपया देखें।

### कैबिनेट ने 2021 के लिए नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी

केंद्रीय कैबिनेट ने 2021 के लिए नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी दी है।[29] नारियल (मिलिंग) की एमएसपी को 9,960 रुपए प्रति क्विंटल से 3.8% बढ़ाकर 10,335 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। नारियल (गोला) के लिए एमएसपी में 2.9% की वृद्धि की गई है, यह 10,300 रुपये प्रति क्विंटल से 10,600 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है।

नारियल उत्पादक राज्यों में नारियल की खरीद के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ (नेफेड) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) केंद्रीय नोडल एजेंसियां बनी रहेंगी।

### कुछ पशुपालन प्रक्रियाओं को रेगुलेट करने के लिए ड्राफ्ट नियम जारी

पशुपालन और डेयरी विभाग ने सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए पशु क्रूरता निवारण (पशुपालन आचरण और प्रक्रिया) नियम, 2020 का ड्राफ्ट जारी किया।[30] नियम कुछ पशुपालन प्रक्रियाओं के दौरान जानवरों के व्यवहार के तरीके को निर्धारित करते हैं, जिनका उद्देश्य अनावश्यक दर्द को खत्म करना है। इन प्रक्रियाओं में ब्रांडिंग (पहचान के लिए जानवरों को चिह्नित करना), बंध्याकरण, सींग हटाना (किसी जानवर के सींग या सींग बनाने वाली कोशिकाओं को हटाना), और नाक में रस्सी डालना (गति पर काबू पाने के लिए नाक में रस्सी डालना) शामिल हैं।

नियमों में कहा गया है कि इस तरह की प्रक्रियाओं से पहले रजिस्टर्ड पशुचिकित्सा द्वारा निर्धारित सेडेटिव्स, दर्दनाशक दवाओं या एनेस्थेटिक्स की जरूरत होगी। इसके अतिरिक्त इन प्रक्रियाओं के दौरान पशुओं की आंखों पर पट्टी लगाई जाएगी और उनके साथ मानवीय व्यवहार किया जाएगा। चिन्हित करने के मामलों में ईयर टैंगिग, टैटूइंग और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा। नियमों में राज्य पशु चिकित्सा परिषद में रजिस्टर्ड पशु चिकित्सक के सुपरविजन के बिना प्रारंभिक चिकित्सा सहायता जैसे वैक्सीनेशन और घावों की मरहम पट्टी पर पाबंदी लगाई गई है।

नियमों में पशुओं की इच्छा मृत्यु के तरीकों को निर्धारित किया गया है। इसमें इच्छा मृत्यु को एक 'अच्छी मौत' के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण संकेतों के समापन से पहले, जिसमें कार्डियक और रेसपिरेटरी अरेस्ट और अंततः, मस्तिष्क का काम करना बंद होना शामिल हैं, पशु को दर्द या पीड़ा के बिना बेहोश किया जाना चाहिए। यह निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाएगा: (i) जब केंद्र या राज्य सरकार को ऐसे बीमार पशु मिलें जो बीमारी फैला सकते हों, ताकि बीमारी की रोकथाम की जा सके, और (ii) अगर पशु अधिकारी यह सर्टिफाई करे कि पशु घातक है या इतनी बुरी तरह चोटिल या ऐसी शारीरिक स्थिति में है कि उसे जीवित रखना क्रूरता होगी।

ड्राफ्ट नियमों पर 9 मार्च, 2021 तक टिप्पणियां आमंत्रित हैं।

## स्वास्थ्य

*Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)*

### यूनीक हेल्थ आइडेंटिफायर नियम, 2021 अधिसूचित किए गए

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने यूनीक हेल्थ आइडेंटिफायर (यूएचआईडी) नियम, 2021 को अधिसूचित किया है।[31] इन नियमों को आधार (वित्तीय एवं अन्य सबसिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) एक्ट, 2016 के अंतर्गत जारी किया गया है। एक्ट भारत में रहने वाले व्यक्तियों को सबसिडी और सेवाओं के लक्षित वितरण का प्रावधान करता है और इसके लिए उन्हें यूनीक नंबर, जिसे आधार नंबर कहा जाता है, देता है।

इसका उद्देश्य यूएचआईडी बनाना है ताकि मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विभिन्न हेल्थ आईटी एप्लिकेशंस में लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन किया जा सके। यूएचआईडी से हेल्थ डेटा इकट्ठा होगा और नागरिकों का इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड बनाया जाएगा। नियमों की मुख्य विशेषताएं हैं:

- **यूएचआईडी बनाना:** आधार सत्यापन का उपयोग यूएचआईडी को बनाने के लिए किया जाएगा। यूएचआईडी का निर्माण स्वैच्छिक है। यूएचआईडी न होने पर स्वास्थ्य सेवाओं से इनकार नहीं किया जाएगा। मंत्रालय एक आदेश के माध्यम से यूएचआईडी बनाने के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग कर सकता है।
- **कंपनियों द्वारा यूएचआईडी का इस्तेमाल:** हेल्थ आईडी बनाने और विभिन्न हेल्थ आईटी एप्लिकेशंस के अंतर्गत हेल्थ संबंधी सूचनाओं को साझा करने के लिए कंपनियों को इस बात की इजाजत होगी कि वे यूजर्स को स्वेच्छा से आधार के इस्तेमाल का विकल्प दे सकती हैं।
- **अनुरोध**: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय यूएचआईडी के लिए आधार सत्यापन सेवाएं प्रदान करने वाली रिक्वेस्टिंग एंटिटी (अनुरोध करने वाली संस्था) होगा। रिक्वेस्टिंग एंटिटी में ऐसी एजेंसियां और व्यक्ति शामिल हैं जो सत्यापन के लिए केंद्रीकृत आधार डेटाबेस को आधार नंबर के साथ जनसांख्यिकीय या बायोमेट्रिक जानकारी उपलब्ध कराते हैं।

## सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद एक्ट, 2003 में ड्राफ्ट संशोधन जारी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन पर प्रतिबंध तथा व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, सप्लाई एवं वितरण का रेगुलेशन) एक्ट, 2003 में ड्राफ्ट संशोधन जारी किए हैं।[32] एक्ट भारत में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री, उत्पादन और वितरण को रेगुलेट करता है।[33] प्रस्तावित मुख्य संशोधनों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **लाइसेंसिंग:** ड्राफ्ट संशोधनों में प्रस्ताव है कि सिगरेट या तंबाकू उत्पादों के उत्पादन, सप्लाई, बिक्री और आयात के लिए केंद्र या राज्य सरकार के लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन या अनुमति की जरूरत होगी।
- **विज्ञापन:** विज्ञापन की परिभाषा में विजिबल रिप्रेंजेटेशंस और ओरल अनाउंसमेंट्स के अतिरिक्त सभी ऑडियो और वीडियो पब्लिसिटी को शामिल किया जाएगा। ड्राफ्ट संशोधनों में विज्ञापनों के प्रसार के साधनों में सोशल मीडिया और इंटरनेट शामिल हैं।
- **बिक्री और व्यापार पर प्रतिबंध:** तंबाकू उत्पादों की बिक्री की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से 21 वर्ष करना प्रस्तावित है। सीलबंद ओरिजिनल पैकेजिंग के बिना सिगरेट या तंबाकू उत्पादों का व्यापार और वाणिज्य प्रतिबंधित होगा।
- **अवैध तंबाकू उत्पाद:** ड्राफ्ट संशोधन अवैध सिगरेट या तंबाकू उत्पादों के उत्पादन, सप्लाई, बिक्री और आयात पर प्रतिबंध लगाते हैं। इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर निम्नलिखित सजा हो सकती है: (i) मैन्यूफैक्चर, सप्लाई या आयात करने पर एक लाख रुपए तक का जुर्माना, या दो वर्ष तक की जेल, या दोनों, और (ii) वितरण या बिक्री करने पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना या एक वर्ष तक की जेल, या दोनों।
- **सजा बढ़ाना:** ड्राफ्ट संशोधन कई सजाओं को बढ़ाने का भी प्रस्ताव रखता है। जैसे कम उम्र के व्यक्ति को सिगरेट बेचने का अधिकतम जुर्माना 200 रुपए से बढ़ाकर एक लाख रुपए किया गया है। यह सात वर्ष तक की जेल के अतिरिक्त होगा। एक्ट में इस अपराध के लिए अब तक जेल की सजा का प्रावधान नहीं है।

## गृह मामले

*Saket Surya (saket@prsindia.org)*

### जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अध्यादेश जारी किया गया

जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अध्यादेश, 2021 को जारी किया गया।[34] यह अध्यादेश जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन एक्ट, 2019 में संशोधन करता है। एक्ट जम्मू और कश्मीर राज्य को जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पुनर्गठित करने का प्रावधान करता है। अध्यादेश की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **प्रशासनिक कैडर्स का विलय**: एक्ट निर्दिष्ट करता है कि जम्मू और कश्मीर में भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के सदस्य केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियोजन के आधार पर दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में कार्य करना जारी रखेंगे। इसके अतिरिक्त भविष्य में दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में अधिकारियों की तैनातियां अरुणाचल गोवा मिजोरम केंद्र शासित (एजीएमयूटी) कैडर से की जाएगी। एजीएमयूटी कैडर में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा के तीन राज्य, तथा सभी केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं।
- अध्यादेश इन क्लॉजेज़ में संशोधन करता है और जम्मू और कश्मीर के मौजूदा कैडर के अधिकारियों का विलय एजीएमयूटी कैडर में करता है।
- **निर्वाचित विधायिका संबंधी प्रावधानों को लागू करना**: एक्ट में प्रावधान है कि संविधान का अनुच्छेद 239 ए, जोकि पुद्दूचेरी केंद्र शासित प्रदेश पर लागू है, जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश पर भी लागू होगा। अनुच्छेद 239 ए में पुद्दूचेरी केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना का प्रावधान है, जिसमें: (i) एक विधायिका होगी, जोकि चयनित, या आंशिक रूप से नामित और आंशिक रूप से निर्वाचित हो सकती है, या (ii) एक मंत्रिपरिषद होगी।
- अध्यादेश में कहा गया है कि अनुच्छेद 239 ए के अतिरिक्त संविधान के ऐसे कोई भी प्रावधान, जिनमें राज्य विधानसभा के चयनित सदस्यों का संदर्भ हो और जो पुद्दूचेरी केंद्र शासित प्रदेश पर लागू होते हैं, भी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश पर लागू होंगे। उदाहरण के लिए इसमें संविधान का अनुच्छेद 54 शामिल हो सकता है (जो पुद्दूचेरी पर भी लागू है) जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के एक निर्वाचक मंडल (इलेक्टोरल कॉलेज) द्वारा किया जाता है।

अध्यादेश पर पीआरएस के सारांश के लिए कृपया देखें।

### आयुष्मान सीएपीएफ योजना शुरू

गृह मामलों के मंत्रालय ने 'आयुष्मान सीएपीएफ' योजना शुरू की है। यह योजना केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के कर्मचारियों और उनके आश्रितों पर लागू है।[35,36] सीएपीएफ में असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड सहित सात केंद्रीय पुलिस बल शामिल हैं।

योजना के अंतर्गत सीएपीएफ के वर्तमान कर्मचारियों और उनके आश्रितों को आयुष्मान पीएम-जय आईटी प्लेटफॉर्म के जरिए कैशलेस हेल्थकेयर सेवाएं मिलेंगी। आयुष्मान भारत योजना का लक्ष्य गरीब और कमजोर तबके के 10.7 करोड़ परिवारों (परिवार के आकार और आयु की सीमा नहीं) को हर वर्ष प्रति परिवार पांच लाख रुपए तक का कवर दिया जाता है।[35]

कैशलेस सेवाओं के अतिरिक्त योजना 24x7 कॉल सेंटर, ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली, रियल टाइम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड्स और फ्रॉड और एब्यूज कंट्रोल सिस्टम्स भी प्रदान करेगी।

## वित्त

*Madhunika Iyer (madhunika@prsindia.org)*

### इरडाई ने मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम को यातायात उल्लंघनों से जोड़ने के संबंध में फीडबैक मांगे

इंश्योरेस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (इरडाई) ने मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम को यातायात उल्लंघनों से जोड़ने से संबंधित एक रिपोर्ट फीडबैक के लिए जारी की है।[37] यह रिपोर्ट एक वर्किंग ग्रुप ने बनाई है। ग्रुप को सितंबर 2019 में गठित किया गया था।[38] ग्रुप के मुख्य सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **यातायात उल्लंघन प्रीमियम**: ग्रुप ने सुझाव दिया कि बीमाकर्ता मोटर इंश्योरेंस में यातायात उल्लंघन प्रीमियम शामिल करें। जब भी नए वाहन का बीमा किया जाए, उसमें नो ट्रैफिक वायलेशन (ट्रैफिक उल्लंघन नहीं) प्रीमियम जोड़ा जाए भले ही वाहन के मालिक का इतिहास यातायात उल्लंघन का हो। सेकेंड हैंड वाहन के लिए यातायात उल्लंघन प्रीमियम जीरो पर सेट किया जाएगा और स्वामित्व के हस्तांतरण के बाद यातायात उल्लंघन के आधार पर तैयार किया जाएगा।
- **यातायात उल्लंघन के प्वाइंट्स**: यातायात उल्लंघन प्रीमियम उल्लंघन के प्वाइंट्स पर आधारित होगा। यातायात संबंधी अपराधों की फ्रीक्वेंसी और गंभीरता के आधार पर प्वाइंट्स को कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे गलत पार्किंग के लिए 10 प्वाइंट होंगे और ड्रंक ड्राइविंग के 100 प्वाइंट। बार-बार उल्लंघन करने पर बढ़े हुए जुर्माने वसूले जाएंगे। उदाहरण के लिए अगर तीन बार वाहन की गलत पार्किंग की गई तो कुल उल्लंघन प्वाइंट 60 होंगे (पहले अपराध के लिए 10 प्वाइंट, दूसरे अपराध के लिए 20 प्वाइंट, और तीसरे अपराध के लिए 30 प्वाइंट)।
- ग्रुप ने यातायात उल्लंघन के विभिन्न स्तरों के लिए दो और तीन पहिया वाहनों और चार पहिया वाहनों के लिए प्रीमियम की राशि का भी सुझाव दिया है।
- **असर की अवधि**: मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम पर यातायात उल्लंघन इतिहास का असर दो वर्षों के लिए रहेगा। अगर वाहन से दो वर्ष के लिए कोई उल्लंघन नहीं होता तो उल्लंघन का इतिहास जीरो पर रीसेट कर दिया जाएगा।
- **टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर**: इंश्योरेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया (आईआईबी) पहले से बीमा कंपनियों से बीमाकृत वाहनों का डेटा जमा करता है। आईआईबी यातायात उल्लंघनों के डेटा के लिए राज्यों की ट्रैफिक पुलिस से समन्वय करेगा। फिर आईआईबी उल्लंघन के प्वाइंट्स को कैलकुलेट करेगा और बीमाकर्ताओं के साथ डेटा को साझा करेगा। वह दो वर्षों के लिए उल्लंघन प्वाइंट्स के डेटा को स्टोर भी करेगा।
- **पायलट**: दिल्ली एनसीटी एक वर्ष के लिए पायलट आधार पर मोटर इंश्योरेस प्रीमियम को यातायात उल्लंघनों से लिंक करेगी।

### इरडाई ने हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजरी कमिटी बनाई

इंश्योरेस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (इरडाई) ने हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजरी कमिटी बनाई है।[39] कमिटी में 10 डॉक्टर और दूसरे हेल्थकेयर एक्सपर्ट्स होंगे।

कमिटी के संदर्भ की शर्तों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) हेल्थ इंश्योरेंस प्रॉडक्ट्स की उपलब्धता की समीक्षा करना और उपयुक्त प्रॉडक्ट्स का सुझाव देना, (ii) पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा के लिए मौजूदा हेल्थ इंश्योरेंस प्रॉडक्ट संरचना की शर्तों की समीक्षा करना, और (iii) भारत में हेल्थ इंश्योरेंस की वहन क्षमता में सुधार के लिए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल या दर संरचना की रणनीति विकसित करना।

कमिटी का कार्यकाल एक वर्ष का है।

### सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज के लिए ओनरशिप नियम पर विमर्श पत्र जारी किया

सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरीज़ के सेटअप लगाने के लिए नए प्रवेशकों के स्वामित्व और गवर्नेंस नियमों पर एक विमर्श पत्र जारी किया है।[40] इस पत्र में स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी स्पेस में सिंगल एंटिटी के मार्केट कॉन्सेनट्रेशन को चिन्हित किया गया है और ओनरशिप नियमों की समीक्षा के कारण के रूप में प्रतिस्पर्धा की जरूरत को गिनाया गया है। पत्र में प्रस्तावित मुख्य परिवर्तनों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **व्यक्तिगत निवासी/घरेलू संस्थान**: नए स्टॉक एक्सचेंज या डिपॉजिटरी के सेटअप के लिए प्रमोटर 100% शेयरहोल्डिंग रख सकते हैं, जोकि 10 वर्षों में 51% या 26% की जानी चाहिए। यही सीमा मौजूदा स्टॉक एक्सचेंज या डिपॉजिटरी की शेयरहोल्डिंग का अधिग्रहण करने वालों पर भी लागू होगी। 25% से अधिक शेयरहोल्डिंग के लिए सेबी की मंजूरी की जरूरत होगी। वर्तमान में एक व्यक्ति (निवासी या विदेशी) के पास 5% से ज्यादा शेयरहोल्डिंग नहीं हो सकती। जबकि कुछ संस्थान, घरेलू या विदेशी (जैसे स्टॉक एक्सचेंज, बैंक) 15% से अधिक शेयरहोल्डिंग्स रख सकते हैं, दूसरे संस्थान 5% से अधिक नहीं रख सकते।
- **विदेशी व्यक्ति/एंटिटीज़**: कुछ क्षेत्राधिकार वाले विदेशी व्यक्ति/एंटिटी 49% तक की शेयरहोल्डिंग के साथ स्टॉक एक्सचेंज या डिपॉजिटरी सेटअप कर सकते हैं। यह शेयरहोल्डिंग 10 वर्षों में 26% या 15% हो जानी चाहिए। यही सीमा मौजूदा स्टॉक एक्सचेंज या डिपॉजिटरी की शेयरहोल्डिंग का अधिग्रहण करने वाले विदेशी लोगों पर भी लागू होगी। 25% से अधिक का अधिग्रहण करने के लिए सेबी की मंजूरी की जरूरत होगी। सभी विदेशी निवासियों की संयुक्त होल्डिंग 49% से अधिक नहीं हो सकती, जोकि मौजूदा नियमों के अनुरूप है।
- **प्रमोटर्स की क्वालिफिकेशन**: स्टॉक एक्सचेंज या डिपॉजिटरी के सेटअप का आवेदन करने वाले घरेलू और विदेशी प्रमोटर्स को निम्नलिखित सुनिश्चित करना होगा: (i) हितों का टकराव नहीं होगा, (ii) ओनरशिप रखने वाले कम से कम 50% लोगों के पास कैपिटल मार्केट्स या वित्तीय सेवाओं से संबंधित टेक्नोलॉजी का न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

पत्र पर 5 फरवरी, 2021 तक टिप्पणियां आमंत्रित हैं।

### आरबीआई ने एनबीएफसीज़ के लिए संशोधित रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर विमर्श पत्र जारी किया

भारतीय रिजर्व बैंक ने एनबीएफसीज़ के लिए संशोधित रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर स्टेकहोल्डर फीडबैक हेतु विमर्श पत्र जारी किया है।[41] पत्र में कहा गया है कि हालांकि बैंकों के मुकाबले गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसीज़) का रेगुलेशन कम सख्त होता है, क्षेत्र में हालिया तनाव और एनबीएफसीज़ के सामने वित्तीय स्थिरता के व्यवस्थागत जोखिमों को देखते हुए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में संशोधन की जरूरत है। वर्तमान में सभी एनबीएफसीज़ को न्यूनतम पूंजीगत शर्तों का पालन करता होता है। इसके अतिरिक्त डिपॉजिट टेकिंग और नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज़ जिन्हें सिस्टिमैटिकली इंपोर्टेंट के तौर पर वगीकृत किया जाता है, को कुछ नियमों (जैसे पूंजी पर्याप्तता) और गवर्नेंस के मानदंडों पर खरा उतरना पड़ता है।

पेपर में प्रस्तावित मुख्य परिवर्तनों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **स्तर आधारित रेगुलेशन**: पत्र में रेगुलेशन के लिए एक पिरामिड संरचना प्रस्तावित है। नॉन सिस्टमैटिकली इंपोर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज़ वाली बेस लेयर (बीएल) में सबसे कम रेगुलेटरी दखल होगा।

मिड लेयर (एमएल) में सिस्टिमैटिकली इंपोर्टेंट एनबीएफसी और डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी आएंगे। अपर लेयर (यूएल) में वे सिस्टिमैटिकली इंपोर्टेंट एनबीएफसी आएंगे जिन पर व्यवस्थित जोखिम की ज्यादा आशंका है और इसका वित्तीय स्थिरता पर असर हो सकता है। पिरामिड की ऊपरी लेयर खाली रहेगी, जब तक कि रेगुलेटर ऐसे एनबीएफसीज़ को चिन्हित कर दे जिन पर जबरदस्त जोखिम है।

- **बेस लेयर:** पत्र में प्रस्ताव है कि एनबीएफसीज़ के वर्गीकरण की सीमा को बढ़ाया जाए। सिस्टिमैटिकली इंपोर्टेंट एनबीएफसीज़ के एसेट साइज को 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपए किया जाए। एनबीएफसी-बीएल को कुछ परिवर्तनों के साथ नॉन सिस्टिमैटिकली इंपोर्टेंट एनबीएफसी के तौर पर रेगुलेट किया जाएगा (चूंकि 1,000 करोड़ रुपए के एसेट साइज वाले एनबीएफसीज़ को नॉन सिस्टिमैटिकली इंपोर्टेंट के तौर पर वर्गीकृत किया जाएगा)। इसके अतिरिक्त एनबीएफसी-बीएल से निम्नलिखित अपेक्षित होगा: (i) 180 दिनों की बजाय 90 दिनों तक बकाये रहे खातों को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के तौर पर वर्गीकृत करना, (ii) रिस्क मैनेजमेंट कमिटी बनाना, और (iii) बैंक/एनबीएफसी में रीटेल लेंडिंग में अनुभव वाले क्वालिफाइड बोर्ड को नियुक्त करना।
- **मिड लेयर**: सिस्टिमैटिकली इंपोर्टेंट एनबीएफसीज़ और डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज़ की रेगुलेटरी संरचना एनबीएफसी-एमएल पर लागू होगी। इसके अतिरिक्त एनबीएफसी-एमएल को निम्नलिखित करना चाहिए: (i) तीन वर्ष के एक समान कार्यकाल वाले ऑडिटर्स की नियुक्ति जिनकी दोबारा नियुक्ति न की जा सके, (ii) कार्यात्मक रूप से स्वतंत्र चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति, और (iii) डायरेक्टर्स को ऋण देने पर पाबंदी, इत्यादि।
- **अपर लेयर**: एनबीएफसी-यूएल को साइज, लेवरेज, इंटरकनेक्टेडेस, जटिलता और कार्य की प्रकृति के आधार पर वर्ष में एक बार चिन्हित किया जाएगा। एक बार एनबीएफसी-यूएल को चिन्हित किया जाए तो उसे अपर लेयर में उसकी आखिरी मौजूदगी से चार वर्ष तक रेगुलेटरी शर्तों को पूरा करना होगा।
- गर्वनेंस को मजबूत करने के अतिरिक्त एनबीएफसी-यूएल के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के लिए निम्नलिखित अपेक्षित है (i) अनिवार्य लिस्टिंग और संबंधित डिस्क्लोजर्स को धीरे-धीरे लागू करना, और (ii) बैंकों पर लागू बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क को लागू करना। बैंकों के लिए बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क प्रतिपक्ष के एक्सपोजर्स की सीमा निर्धारित करते हैं ताकि जोखिम का प्रबंधन किया जा सके।[42] जैसे एकल प्रतिपक्ष के लिए बैंक के सभी एक्सपोजर्स का योग बैंक की पूंजी के 20% से ज्यादा नहीं हो सकता।

पत्र पर 22 फरवरी, 2021 तक टिप्पणियां आमंत्रित हैं।

## इरडाई ने साइबर लायबिलिटी इंश्योरेंस पर रिपोर्ट को पब्लिक फीडबैक के लिए जारी किया

इंश्योरेस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (इरडाई) ने साइबर लायबिलिटी इंश्योरेंस के अध्ययन के लिए वर्किंग ग्रुप की एक रिपोर्ट को पब्लिक फीडबैक के लिए जारी किया।[43] साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी फिलहाल व्यक्तियों और बिजनेस के लिए मौजूद हैं और इसमें फंड्स की चोरी, मालवेयर के कारण डेटा रेस्टोरेशन, साइबर रैंसम इत्यादि कवर होते हैं।

ग्रुप ने साइबर लायबिलिटी इंश्योरेंस की स्थिति का अध्ययन किया और 'साइलेंट इंश्योरेंस' से निपटने की जरूरत को चिन्हित किया। साइलेंट इंश्योरेंस का अर्थ है, जब पॉलिसी में स्पष्ट रूप से कवरेज शामिल नहीं होता, न ही कवरेज दिया ही जाता है। संबंधित नुकसान को कवर न करने वाली पॉलिसी ऐसे दावों का भुगतान करती है।

इसके अतिरिक्त ग्रुप ने व्यक्तियों के इंश्योरेंस कवर के महत्व और इस संबंध में जागरूकता पैदा करने की जरूरत का उल्लेख किया।

ग्रुप ने साइबर इंश्योरेंस कवर को बढ़ाने के लिए कुछ सुझाव दिए। इंश्योरेंस को ब्रिकिंग लागत को कवर करना चाहिए जोकि साइबर इवेंट में नष्ट हुए हार्डवेयर (कंप्यूटर, सर्वर) की लागत होती है (डेटा के नुकसान को कवर करने के अतिरिक्त)। ग्रुप ने यह सुझाव भी दिया कि इंश्योरेंस कवर को हमलावरों के लक्षित अतिक्रमण का संदर्भ हटा देना चाहिए और अतिक्रमण के अनाधिकृत होने पर ही कवर देना चाहिए। वर्तमान पॉलिसी में लक्षित अतिक्रमण कवर होता है और वे साइबर हमले इसके दायरे में नहीं आते जोकि मल्टीपल यूजर्स पर किए जाते हैं।

रिपोर्ट पर 9 फरवरी, 2021 तक टिप्पणियां आमंत्रित हैं।

### आरबीआई ने डिजिटल लेंडिंग पर वर्किंग ग्रुप का गठन किया

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के जरिए लेंडिंग सहित डिजिटल लेंडिंग पर एक वर्किंग ग्रुप का गठन किया।[44] इस ग्रुप के अध्यक्ष आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और पांच अन्य सदस्य (आंतरिक और बाहरी) होंगे।

ग्रुप के संदर्भ की शर्तों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) आरबीआई द्वारा रेगुलेट की जाने वाली एंटिटीज़ की डिजिटल लेंडिंग गतिविधियों का मूल्यांकन और आउटसोर्स्ड डिजिटल लेंडिंग गतिविधियों के मानकों का आकलन, (ii) अनरेगुलेटेड डिजिटल लेंडिंग से वित्तीय स्थिरता और उपभोक्ताओं को होने वाले जोखिमों को चिन्हित करना, (iii) डिजिटल लेंडिंग के व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देने के लिए रेगुलेटरी परिवर्तनों का सुझाव देना, और (iv) उपभोक्ताओं की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए उपाय सुझाना।

ग्रुप को तीन महीने में रिपोर्ट देने की सलाह दी गई है।

## कॉरपोरेट मामले

*Madhunika Iyer (madhunika@prsindia.org)*

### कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी नीति के नियमों में संशोधन

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी (कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी नीति) संशोधन नियम, 2021 जारी किया है।[45] ये नियम कंपनी एक्ट, 2013 के अंतर्गत जारी 2014 के नियमों में संशोधन करते हैं। एक्ट के अंतर्गत कुछ कंपनियों को अपने पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2% सीएसआर पर खर्च करना होता है।[46] नियमों की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **रजिस्ट्रेशन**: कंपनी निम्नलिखित के जरिए सीएसआर कर सकती है: (i) खुद या कंपनी द्वारा स्थापित ट्रस्ट या सोसायटी के जरिए, या (ii) केंद्र या राज्य सरकार द्वारा स्थापित एंटिटी, ट्रस्ट या सोसायटी के जरिए, या (iii) ऐसे ट्रस्ट या सोसायटी के जरिए जिसका तीन वर्ष का ऐसी गतिविधियां करने का ट्रैक रिकॉर्ड हो। नए नियमों में हर एंटिटी को सीएसआर गतिविधियों के लिए 1 अप्रैल, 2021 से केंद्र सरकार के साथ रजिस्टर करना होगा। यह शर्त उन प्रॉजेक्ट्स के लिए नहीं है जिन्हें इन नियमों के पहले लागू किया जा चुका है।
- **सीएसआर व्यय**: 2014 के नियमों में प्रावधान है कि एक्ट के अंतर्गत निर्दिष्ट गतिविधियों के लिए व्यय को सीएसआर व्यय में जोड़ा जाएगा। इनमें भुखमरी खत्म करना, शिक्षा को बढ़ावा देना, पीएम राष्ट्रीय राहत फंड में योगदान देना शामिल है। 2021 के नियमों में कहा गया है कि सीएसआर फंड को पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन या अधिग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जोकि: (i) सीएसआर रजिस्ट्रेशन नंबर वाले किसी ट्रस्ट या

सोसायटी (ii) सीएसआर प्रॉजेक्ट के लाभार्थियों, (iii) सार्वजनिक प्रशासन की हो सकती हैं।

- **प्रभाव आकलन**: 10 करोड़ रुपए से अधिक की सीएसआर बाध्यताओं वाली कंपनियों को उन सभी सीएसआर प्रॉजेक्ट्स के लिए एक प्रभाव आकलन रिपोर्ट तैयार करनी होगी जिनमें एक करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हों। प्रभाव आकलन पर व्यय को सीएसआर व्यय में गिना जाएगा, अगर यह उस वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर के 5% या 50 लाख रुपए (जो भी कम हो) से ज्यादा न हो।
- **खुलासा और रिपोर्टिंग**: नियमों में कंपनी की वेबसाइट और वार्षिक रिपोर्ट में सीएसआर गतिविधियों से संबंधित अतिरिक्त खुलासे की अपेक्षा की गई है। सीएसआर नीति के अतिरिक्त वेबसाइट पर सीएसआर कमिटी के संयोजन और बोर्ड द्वारा मंजूर प्रॉजेक्ट्स का खुलासा भी होना चाहिए। मौजूदा वित्तीय वर्ष के सीएसआर व्यय की रिपोर्ट के अतिरिक्त वार्षिक रिपोर्ट में प्रभाव आकलन (अगर लागू होता है) तथा पिछले तीन वर्षों में चलाए गए चालू सीएसआर प्रॉजेक्ट्स से संबंधित विवरण होने चाहिए।

## प्री-पैकेज्ड इनसॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन प्रक्रिया की रिपोर्ट जारी की गई

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने प्री-पैकेज्ड इनसॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन प्रक्रिया पर इनसॉल्वेंसी लॉ कमिटी की सब-कमिटी की रिपोर्ट पब्लिक फीडबैक के लिए जारी की है।[47] प्री-पैकेज्ड इनसॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन प्रक्रिया (प्री-पैक) एक रीस्ट्रक्चरिंग प्लान होता है जिस पर देनदार और वित्तीय लेनदार इनसॉल्वेंसी की फाइलिंग से पहले सहमत होते हैं, और फिर उसे अदालत द्वारा त्वरित आधार पर मंजूर किया जाता है। प्री-पैक से इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी संहिता, 2016 (आईबीसी) के अंतर्गत कॉरपोरेट देनदारों के वित्तीय स्ट्रेस (डीफॉल्ट) के रेज़ोल्यूशन के लिए एक और विकल्प मिलेगा। वर्तमान में आईबीसी कॉरपोरेट इनसॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन प्रक्रिया (सीआईआरपी) का प्रावधान करती है जोकि सुपरवाइज्ड इनसॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन फ्रेमवर्क है।[48] प्री-पैक की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **प्री-पैक की उपलब्धता**: कमिटी ने सुझाव दिया कि प्री-पैक चरणबद्ध कार्यान्वयन के साथ सभी कॉरपोरेट देनदारों को उपलब्ध होना चाहिए। पहले चरण में यह एक लाख रुपए और एक करोड़ रुपए के बीच के डीफॉल्ट्स और कोविड-19 के दौरान के डीफॉल्ट्स पर उपलब्ध हो सकता है जिसके लिए सीआईआरपी उपलब्ध नहीं हैं। अंततः प्री-पैक को प्री-डीफॉल्ट स्ट्रेस को हल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
- **प्रक्रिया प्रारंभ करना**: जहां सीआईआरपी को देनदार या लेनदार कोई भी शुरू कर सकता है, वहीं प्री-पैक को केवल कॉरपोरेट देनदार द्वारा शुरू किया जा सकता है। प्री-पैक को शुरू करने के लिए वित्तीय लेनदारों और शेयरहोल्डर्स के बहुमत की मंजूरी होनी चाहिए।
- **प्रक्रिया**: एक बार प्री-पैक शुरू हो जाए तो बेस रेज़ोल्यूशन प्लान बनाया जाता है। इस प्लान को देनदार या वित्तीय लेनदारों द्वारा व्यवस्थित व्यक्ति सौंप सकता है। प्लान एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को सौंपे जाने के बाद औपचारिक प्रक्रिया शुरू होती है। किसी भी प्लान को तब वित्तीय और ऑपरेशनल लेनदारों की कमिटी द्वारा 66% बहुमत के मत से मंजूर किया जाना चाहिए। अगर बेस प्लान को मंजूरी नहीं दी जाती है, तो लेनदार उसे चुनौती देने के लिए दूसरे प्लान्स को आमंत्रित कर सकते हैं।
- इस प्रक्रिया में किसी भी समय लेनदार लिक्विडिटी के लिए 75% बहुमत से मतदान कर सकते हैं। देनदार या लेनदार किसी भी चरण पर प्री-पैक प्रक्रिया चुन सकते हैं। अगर यह प्रक्रिया 90 दिनों में पूरी नहीं

होती तो प्री-पैक अपने आप खत्म हो जाएगा।

- **देनदार के पास नियंत्रण**: प्री-पैक की कार्यवाही के दौरान देनदार के पास प्रबंधन का नियंत्रण रहेगा, जबकि सीआईआरपी में यह नियंत्रण रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल के हाथों में चला जाता है। लेकिन पूंजी संरचना जैसे कुछ फैसले लेनदारों की मंजूरी से लिए जा सकते हैं।
- **कूलिंग-ऑफ अवधि**: कमिटी ने सुझाव दिया है कि प्री-पैक को किसी पहले प्री-पैक के खत्म होने के तीन वर्षों के बाद ही शुरू किया जाए। सीआईआरपी में नई प्रक्रिया को पहली प्रक्रिया के बंद होने के 12 महीने बाद ही शुरू किया जा सकता है।
- इसके अतिरिक्त प्री-पैक और सीआईआरपी एक साथ नहीं चलाए जा सकते। सीआईआरपी में जाने वाला कॉरपोरेट देनदार प्री-पैक का सहारा नहीं ले सकता, और एक बार प्री-पैक शुरू हो जाए तो लेनदार सीआईआरपी की मदद नहीं ले सकते।

## एलएलपी एक्ट को गैर अपराधिक बनाने पर रिपोर्ट जारी

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट (एलएलपी एक्ट), 2008 को गैर अपराधिक बनाने पर कंपनी लॉ कमिटी की रिपोर्ट पब्लिक फीडबैक के लिए जारी की। एलएलपी एक्ट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स को गवर्न करता है। एलएलपी एक बिजनेस स्ट्रक्चर होता है जोकि कंपनी (लिमिडेट लायबिलिटी के साथ) और पार्टनरशिप के बीच हाइब्रिड होता है। 2019 में कंपनी लॉ कमिटी की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि कंपनी कानून, 2013 के अंतर्गत कुछ कंपाउंडेबल अपराधों को गैर अपराधिक बनाया जाना चाहिए। यह कंपनी (संशोधन) एक्ट, 2019 और कंपनी (संशोधन) एक्ट, 2020 के जरिए लागू किया गया था।[49,50] कंपाउंडेबल अपराध ऐसे अपराधों को कहा जाता है जिनके लिए सिर्फ जुर्माने की सजा होती है। कमिटी के मुख्य सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:[51]

- **पुनर्वगीकरण का तर्क:** कमिटी ने सुझाव दिया कि बिजनेस कानूनों से उन अपराधों के लिए क्रिमिनैलिटी को हटाया जा सकता है जहां कोई घातक इरादा शामिल न हो। एलएलपी एक्ट के उल्लंघन के लिए, जोकि जनहित को नुकसान न पहुंचाते हों, कमिटी ने सुझाव दिया कि जुर्माने (जिसे अदालत द्वारा दोष सिद्ध होने पर लगाया जाता है और जिसकी प्रकृति आपराधिक होती है) के स्थान पर संबंधित अथॉरिटी को सजा तय कर दे।
- **कंपाउंडेबल अपराधों का गैर अपराधीकरण:** यह सुझाव दिया गया था कि छोटे मुद्दों से संबंधित कंपाउंडेबल अपराध जिसमें अधिकतर वस्तुनिष्ठ निर्धारण शामिल होते हैं, को गैर अपराधिक बनाया जाए। इन अपराधों को इन-हाउस एडजुडिकेशन मैकेनिज्म फ्रेमवर्क के अंतर्गत लाया जाएगा, न कि आपराधिक अपराध माना जाएगा। ऐसे अपराध एलएलपी में पार्टनर्स की सूचना का खुलासा न करने से संबंधित हैं।
- **अपराध में यथास्थिति बरकरार रखना:** कमिटी ने उन अपराधों के लिए जुर्माने को बरकरार रखने का सुझाव दिया जिनमें धोखाधड़ी, छल, सार्वजनिक हित को नुकसान, और कोई भी गलत व्यवहार शामिल हैं।
- **ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस:** ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने वाले सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) छोटे एलएलपी की परिभाषा को पेश करना जिसमें कम अनुपालन और कम जुर्माने लगें, और (ii) एलएलपी को नॉन कनवर्टिबल डेट जारी करने की अनुमति (फिलहाल वे सिर्फ इक्विटी जारी कर सकती हैं)।

रिपोर्ट पर 2 फरवरी, 2021 तक टिप्पणियां आमंत्रित हैं।

## वाणिज्य एवं उद्योग

*Madhunika Iyer (madhunika@prsindia.org)*

### जम्मू और कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना

आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी ने जम्मू और कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना को मंजूरी दी है।[52] योजना नए और मौजूदा व्यापार को निवेश करने के लिए इनसेंटिव्स देती है। केंद्र सरकार विशेष श्रेणी के राज्यों जैसे पूर्वोत्तर, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के औद्योगिक विकास के कई योजनाएं चलाती है। उल्लेखनीय है कि जम्मू और कश्मीर के औद्योगिक विकास को 2018 में अधिसूचित किया गया था और यह 31 मार्च, 2021 तक वैध है।[53,54] नई योजना की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **पूंजी निवेश के लिए इनसेंटिव**: मैन्यूफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र की 50 करोड़ रुपए के निवेश वाली नई और मौजूदा औद्योगिक इकाइयों को निवेश के लिए इनसेंटिव दिया जाएगा। जोन ए में स्थित इकाइयों के लिए निवेश के 30% तक (अधिकतम सीमा पांच करोड़ रुपए) के मूल्य का इनसेंटिव मिलेगा। जोन बी में आने वाली इकाइयों के लिए यह सीमा 50% है (अधिकतम 7.5 करोड़ रुपए)। जम्मू और कश्मीर में जिलों को औद्योगिकीकरण के स्तर के लिहाज से जोन ए और बी में वर्गीकृत किया गया है।[55]
- **ब्याज पर छूट**: नई और मौजूदा औद्योगिक इकाइयों को 500 करोड़ रुपए तक के लोन्स पर अधिकतम सात वर्षों के लिए 6% ब्याज छूट मिलेगी। इन लोन को प्लांट और मशीनरी में निवेश करने, इमारत बनाने और दूसरी टिकाऊ भौतिक परिसंपत्तियों के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
- **कार्यशील पूंजी ब्याज इनसेंटिव**: मौजूदा यूनिट्स को अधिकतम पांच वर्षों के लिए कार्यशील पूंजी ऋण पर 5% की ब्याज छूट मिलेगी। यह छूट अधिकतम एक करोड़ रुपए की होगी।

सरकार ने 2020-21 से 2036-37 के दौरान योजना के लिए 28,400 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव रखा है।

### सरकार ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना को अधिसूचित किया

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 2021-25 के लिए स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना को अधिसूचित किया है।[56] योजना सभी क्षेत्रों के स्टार्टअप्स को कॉन्सेप्ट के प्रूफ, प्रोटोटाइप विकास, प्रॉडक्ट ट्रायल्स, बाजार में प्रवेश और कमर्शियलाइजेशन के लिए वित्तीय सहायता देती है। योजना का कॉरपस 945 करोड़ रुपए होगा और इसे इनक्यूबेटर्स को अनुदानों के जरिए स्टार्टअप्स में वितरित किया जाएगा। योजना की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **पात्रता**: स्टार्टअप्स की पात्रता में निम्नलिखित शामिल है: (i) उसे स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त होना चाहिए, (ii) दो वर्ष से पहले का नहीं होना चाहिए (आवेदन के समय), (iii) केंद्रीय या राज्य सरकार की किसी योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए से अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होनी चाहिए, (iv) ऐसा कारोबारी आइडिया होना चाहिए जिसमें तकनीक का इस्तेमाल होता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्तीय समावेश, रक्षा इत्यादि में सॉल्यूशंस देने वाले स्टार्टअप्स को वरीयता दी जाएगी। एक स्टार्टअप को सिर्फ एक बार सीड फंडिंग मिलेगी।
- **इनक्यूबेटर्स के लिए पात्रता**: इनक्यूबेटर्स एक लीगल एंटिटी होनी चाहिए जोकि कम से कम दो वर्षों से काम कर रही हो। उसे थर्ड पार्टी निजी एंटिटी की फंडिंग से सीड फंड वितरित नहीं करना चाहिए। अगर

इनक्यूबेटर केंद्र या राज्य सरकार से सहायता प्राप्त है तो उनके पास इनक्यूबेशन में जाने वाले कम से कम पांच स्टार्टअप्स होने चाहिए। अगर ऐसा न हो तो उसके पास कम से कम 10 स्टार्टअप्स ऐसे होने चाहिए जिनका इनक्यूबेशन जारी हो और वह कम से कम तीन साल से काम कर रहे हों।

- **एक्सपर्ट एडवाइजरी कमिटी**: एक्सपर्ट एडवाइजरी कमिटी पांच करोड़ रुपए तक के अनुदानों के आबंटन के लिए इनक्यूबेटर्स को चुनेगी जिसे माइलस्टोन्स हासिल करने पर किश्तों में जारी किया जाएगा।[57] कमिटी योजना के कार्यान्वयन की निगरानी भी रखेगी।
- **धनराशि का संवितरण**: इनक्यूबेटर्स निम्नलिखित तरीके से स्टार्टअप्स को सीड फंड देंगे: (i) कॉन्सेप्ट के प्रूफ या प्रॉडक्ट ट्रायल्स के लिए अधिकतम 20 लाख रुपए का अनुदान, माइलस्टोन्स हासिल करने पर संवितरण, (ii) कमर्शियलाइजेशन के लिए डेटा इंस्ट्रूमेंट के जरिए अधिकतम 50 लाख रुपए।
- **इनक्यूबेटर सीड मैनेजमेंट कमिटी**: हर इनक्यूबेटर स्टार्टअप्स को चुनने के लिए एक इनक्यूबेटर सीड मैनेजमेंट कमिटी बनाएगा। कमिटी में इनक्यूबेटर के प्रतिनिधि, राज्य सरकार की स्टार्टअप नोडल टीम, एक वेंचर कैपिटल फंड, एकैडमिया और उद्यमी शामिल होंगे।

## श्रम एवं रोजगार

### आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना अधिसूचित

*Saket Surya (saket@prsindia.org)*

कर्मचारी प्रॉविडेंट फंड और विविध प्रावधान एक्ट, 1952 में कुछ इस्टैबलिशमेंट्स में अंशदान आधारित कर्मचारी प्रॉविडेंट फंड (ईपीएफ) योजना का प्रावधान है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ऐसे प्रॉविडेंट फंड अंशदानों पर सबसिडी देने के लिए 'आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना' को अधिसूचित किया है।[58] योजनाओं की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **एप्लिकेबिलिटी**: केंद्र सरकार दो वर्षों के लिए नए कर्मचारियों का ईपीएफ अंशदान चुकाएगी (30 जून, 2023 तक)। 1,000 या उससे कम कर्मचारियों वाले इस्टैबलिशमेंट्स के लिए सरकार ईपीएफ का 24% अंशदान चुकाएगी (कर्मचारी और नियोक्ता, प्रत्येक के लिए 12%)। अन्य के लिए सरकार सिर्फ कर्मचारियों का अंशदान देगी।
- **कर्मचारियों के लिए पात्रता मानदंड**: योजना 15,000 रुपए प्रति माह से कम कमाने वाले और 1 अक्टूबर, 2020 और 30 जून, 2021 के बीच संलग्न होने वाले नए कर्मचारियों के लिए होगी। नए कर्मचारियों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) कर्मचारी जोकि 1 अक्टूबर, 2020 से पहले किसी इस्टैबलिशमेंट में काम नहीं करते थे और इसके बाद जिन्हें यूएएन नहीं दिया गया है, या (ii) यूएएन वाले ईपीएफ सदस्य जिन्होंने 1 मार्च, 2020 और 30 सितंबर, 2020 के बीच रोजगार छोड़ दिया है (जिसका नौकरी छोड़ना यूएएन में रिकॉर्ड किया गया है)।
- यूएएन वह यूनीक नंबर होता है जिसे ईपीएफओ आबंटित करता है (1952 के एक्ट के अंतर्गत)। योजना के अंतर्गत उन कर्मचारियों को लाभ नहीं मिलेंगे जिनके नियोक्ता प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) के अंतर्गत लाभ लेते हैं। पीएमआरपीवाई के अंतर्गत केंद्र सरकार नियोक्ता की ओर से नए कर्मचारियों को नौकरी पर रखने के लिए (तीन वर्ष की अवधि के लिए) पेंशन अंशदान (1952 के अंतर्गत 8.33%) चुकाती है।
- **इस्टैबलिशमेंट्स के लिए पात्रता मानदंड**: ईपीएफओ में पहले से रजिस्टर इस्टैबलिशमेंट्स को लाभ हासिल करने के लिए रेफरेंस बेस से कम से कम दो अधिक

नए कर्मचारियों (अगर रेफरेंस बेस 50 या उससे कम कर्मचारी है) और कम से कम पांच नए कर्मचारियों (अगर रेफरेंस बेस 50 से अधिक है) को नौकरी पर रखना चाहिए। रेफरेंस बेस कर्मचारियों की संख्या होता है जिनके लिए नियोक्ता सितंबर के महीने में रिटर्न फाइल करता है।

### औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अंतर्गत ड्राफ्ट मॉडल स्थायी आदेश जारी

*Aditya Kumar (aditya@prsindia.org)*

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने मैन्यूफैक्चरिंग, खनन और सेवा क्षेत्रों के लिए ड्राफ्ट मॉडल स्थायी आदेश पर टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।[59,60] ये ड्राफ्ट आदेश औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अंतर्गत जारी किए गए हैं और औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) केंद्रीय नियम, 1946 के अंतर्गत मौजूदा मॉडल स्थायी आदेश का स्थान लेते हैं।[61,62] ड्राफ्ट आदेशों की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **प्रोबेशन की अवधि**: एक श्रमिक को स्थायी श्रमिक के तौर पर क्वालिफाई करने के लिए प्रोबेशन की अवधि पूरी करनी होती है। ड्राफ्ट आदेशों में प्रोबेशन की अवधि को तीन महीने से बढ़ाकर छह महीने करने का प्रयास किया गया है।[59,60]
- **शिफ्ट्स में बदलाव के लिए नोटिस की अवधि:** ड्राफ्ट आदेशों में शिफ्ट में बदलाव (जैसे समय में बदलाव, शिफ्ट को बंद करना या फिर से शुरू करना) के लिए नोटिस की अवधि को दो महीने से घटाकर 21 दिन करने का प्रयास किया गया है।[59,60,62]
- **वेतन का भुगतान**: ड्राफ्ट आदेश में निर्दिष्ट किया गया है कि श्रमिकों के वेतन को सीधे बैंक खातों में जमा किया जाएगा। भुगतान की जानकारी डिजिटल चैनल (जैसे एसएमएस और ईमेल) के जरिए या वेज स्लिप जारी करके भेजी जाएगी।[59,60] वर्तमान में खदानों में एक अधिकृत गवाह की मौजूदगी में श्रमिकों को वेतन सीधे दिया जाता है।[62]
- **वर्क फ्रॉम होम**: ड्राफ्ट आदेश सेवा क्षेत्र के श्रमिकों के लिए वर्क फ्रॉम होम की संस्कृति को औपचारिक बनाते हैं। वर्क फ्रॉम होम की अनुमति उस अवधि के लिए होगी, जिसे नियोक्ता ने परस्पर सहमति के आधार पर तय किया है।[60]
- **शिकायत कमिटी**: ड्राफ्ट आदेशों में कहा गया है कि यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर जांच अथॉरिटी के तौर पर काम करने के लिए शिकायत कमिटी बनाई जानी चाहिए। कमिटी में निम्नलिखित सदस्य होंगे: (i) चेयरपर्सन के रूप में एक महिला, और (ii) गैर सरकारी संगठन या यौन उत्पीड़न के मसले से परिचित ऐसे ही किसी दूसरे निकाय (जैसे राज्य या राष्ट्रीय स्तर के मानवाधिकार आयोग, या महिला आयोग का कोई नॉमिनी) का एक सदस्य।

## सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण

*Saket Surya (saket@prsindia.org)*

### माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण (संशोधन) बिल पर स्टैंडिंग कमिटी ने रिपोर्ट सौंपी

सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण संबंधी स्टैंडिंग कमिटी ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण (संशोधन) बिल, 2019 पर अपनी रिपोर्ट सौंपी।[63] बिल माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण एक्ट, 2007 में संशोधन करता है जोकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए वित्तीय सुरक्षा, कल्याण और संरक्षण का प्रावधान करता है। कमिटी के मुख्य निष्कर्षों और सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **कोयर होम्स**: एक्ट में राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में कम से कम एक ओल्ड एज होम बनाने की बात कही गई है। बिल इस प्रावधान में परिवर्तन करता है और यह

प्रावधान करता है कि केंद्र या राज्य सरकार या कोई संगठन वरिष्ठ नागरिकों के लिए केयर होम्स बना सकता है। कमिटी ने कहा कि देश के 700 जिलों में से सिर्फ 482 में केयर होम्स हैं। उसने सुझाव दिया कि बिल में कम से कम एक केयर होम और प्रत्येक जिले में एक मल्टी-सर्विस डे केयर सेंटर की अनिवार्यता होनी चाहिए।

- बिल में राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की गई है कि वे केयर होम्स और डे केयर सेंटर्स के रजिस्ट्रेशन और निगरानी के लिए रजिस्ट्रेशन और रेगुलेटरी अथॉरिटी को नामित करें। कमिटी ने सुझाव दिया है कि एक्ट में संशोधन के छह महीनों के भीतर राज्य सरकारें इन अथॉरिटी को नामित करें, बिल में यह प्रावधान शामिल किया जाना चाहिए।
- **वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवा**: एक्ट में प्रावधान है कि सरकारी अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ सुविधाएं प्रदान की जाएंगी (जैसे बिस्तर, अलग कतार, बूढ़ों के लिए अलग से सुविधाएं)। बिल में यह अपेक्षा की गई है कि निजी संगठनों सहित सभी अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाएं होनी चाहिए। कमिटी ने सुझाव दिया है कि जिला अस्पताल वरिष्ठ नागरिकों को काउंसिलिंग की सुविधा दें, इस संबंध में बिल में प्रावधान होने चाहिए। उसने यह सुझाव भी दिया है कि सरकार एक निश्चित समयावधि में सभी राज्यों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग वृद्ध स्वास्थ्य सुविधाएं, अस्पताल और रिसर्च सेंटर बनाए, बिल में यह अपेक्षित होना चाहिए।

बिल पीआरएस की रिपोर्ट के लिए कृपया देखें। बिल पर पीआरएस के ब्रीफ के लिए कृपया देखें।

## संचार

*Saket Surya (saket@prsindia.org)*

### अगले 10 वर्षों के दौरान स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल के लिए रोडमैप पर टिप्पणियां आमंत्रित

टेलीकम्यूनिकेशंस विभाग ने अगले 10 वर्षों के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल के लिए रोडमैप पर टिप्पणियां आमंत्रित कीं।[64] निम्नलिखित मुख्य मुद्दों पर टिप्पणियां मांगी गई हैं: (i) स्पेक्ट्रम आबंटन के वर्तमान तरीके में परिवर्तन, (ii) 5जी के लिए आइडियल फ्रीक्वेंसी बैंड्स, और (iii) अगले 10 वर्षों के लिए स्पेक्ट्रम की जरूरत।

### आपदाओं के दौरान टेलीकम्यूनिकेशन सेवाएं प्रदान करने के लिए सोप जारी

टेलीकम्यूनिकेशन विभाग (डॉट) ने आपदा और आपात स्थिति के प्रभाव को कम करने और उसकी रिकवरी के लिए टेलीकम्यूनिकेशन सेवाएं प्रदान करने हेतु स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (सोप) जारी किए हैं।[65] सोप की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **समन्वय के लिए संस्थागत संरचना**: राष्ट्रीय और राज्य या टेलीकॉम सर्किल स्तर पर एक को-ऑर्डिनेशन कमिटीज़ बनाई जाएगी। राष्ट्रीय कमिटी आपदाओं की तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए जरूरी दिशानिर्देश जारी करेगी। राज्य कमिटी राज्य स्तर पर आपदा से जुड़े कामकाज में समन्वय करेगी, उस पर नजर रखेगी। वह राज्य और जिला स्तर पर बचाव, राहत और बहाली की क्षेत्रगत जरूरतों का निरीक्षण करेगी। राज्य कमिटी संबंधित जिला मुख्यालय में विशिष्ट उद्देश्य के लिए कैंप ऑफिस बनाएगी।
- राष्ट्रीय स्तर की कमिटी की अध्यक्षता डॉट के सदस्य (टेक्नोलॉजी) द्वारा की जाएगी। राज्य या टेलीकॉम सर्किल स्तर पर गठित कमिटी की अध्यक्षता संबंधित डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल (टेक्नोलॉजी) द्वारा की जाएगी। इन कमिटियों में निम्नलिखित के

प्रतिनिधि शामिल होंगे: (i) डॉट के टेक्निकल प्रभाग, (ii) टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर (टीएसपीज़), और (iii) संबंधित आपदा प्रबंधन अथॉरिटी।

- **टीएसपीज़ के लिए शर्तें**: सोप में कुछ शर्तें दी गई हैं जिनका टीएसपीज़ को आपदा के दौरान भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पालन करना चाहिए। इसमें सभी टीएसपीज़ से निम्नलिखित अपेक्षा की गई है: (i) एक आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना, (ii) आपदा प्रबंधन से संबंधित समन्वय के लिए राष्ट्रीय और टेलीकॉम सर्किल स्तर पर नोडल अधिकारियों को नामित करना, (iii) राज्य स्तर पर आपदा प्रतिक्रिया टास्क फोर्स बनाना ताकि आपातकालीन संचार और सेवाओं की बहाली तत्काल की जा सके, और (iv) नुकसान की प्रकृति और सीमा तय करने के लिए त्वरित क्षति आकलन दल बनाना। विशिष्ट संसाधनों को साझा करने और सेवाओं के प्रावधान के लिए इंट्रा-सर्किल रोमिंग हेतु टीएसपी परस्पर समझौता कर सकते हैं।

## शिक्षा

*Saket Surya (saket@prsindia.org)*

### यूजीसी ने इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस को ऑफ-शोर कैंपस बनाने की मंजूरी दी

यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (यूजीसी) ने इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस के रेगुलेशंस में संशोधनों को अधिसूचित किया है।[66] इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस योजना को 2017 में शुरू किया गया था। योजना के अंतर्गत 10 सार्वजनिक और 10 निजी संस्थानों को इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस घोषित किया गया था।[67] मुख्य संशोधनों में इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस को ऑफ-शोर कैंपस (भारत के बाहर कैंपस) और ऑफ-कैंपस सेंटर (भारत में मुख्य कैंपस के बाहर सेंटर) बनाने की मंजूरी दी गई है।

- **ऑफ-कैंपस सेंटर**: इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस को पांच वर्षों में अधिकतम तीन ऑफ-कैंपस सेंटर बनाने की मंजूरी दी गई है जोकि एक वर्ष में अधिकतम एक सेंटर के अधीन है। इंस्टीट्यूट्स मंत्रालय को 10 वर्ष के विजन प्लान और पांच वर्ष के कार्यान्वयन प्लान के विवरण के साथ आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इंस्टीट्यूट्स को पांच वर्षों की अवधि के भीतर प्रस्तावित ऑफ-कैंपस सेंटर में निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा: (i) रेगुलर क्लासरूम मोड के अंतर्गत न्यूनतम 500 स्टूडेंट्स जिनमें से कम से कम एक तिहाई पोस्टग्रैजुएट या रिसर्च स्टूडेंट्स हों, (ii) पांच पोस्टग्रैजुएट प्रोग्राम्स, (iii) टीचर-स्टूडेंट्स का 1:10 का अनुपात, और (iv) कम से कम 60% फैकेल्टी की नियुक्ति स्थायी होनी चाहिए।
- **ऑफ-शोर कैंपस**: इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस को शिक्षा मंत्रालय की मंजूरी के साथ और गृह तथा विदेश मामलों के मंत्रालयों से अनापत्ति प्रमाणपत्र मिलने के बाद ऑफ-शोर कैंपस लगाने की अनुमति है। इंस्टीट्यूट्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे मेन कैंपस की तरह दाखिले, करिकुलम और परीक्षाओं के नियमों और मानदंडों का पालन करें।

इंस्टीट्यूट्स के ऑफ-कैंपस सेंटर्स और ऑफ-शोर कैंपस के कामकाज की समीक्षा एक एक्सपर्ट कमिटी हर तीन वर्ष में एक बार करेगी जोकि ऑफ-कैंपस सेंटर/ऑफ-शोर कैंपस को बंद करने का भी सुझाव दे सकती है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने सुझाव दिया था कि उच्च स्तरीय प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को दूसरे देशों में कैंपस बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।[68]

### मंत्रालय ने प्रवासी बच्चों की शिक्षा को जारी करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए

शिक्षा मंत्रालय ने प्रवासी बच्चों की पहचान करने, उन्हें दाखिला दिलाने और शिक्षा जारी रखने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं।[69] दिशानिर्देशों का उद्देश्य ड्रॉपआउट्स को रोकने के लिए एक रणनीति बनाना है ताकि देश में स्कूली शिक्षा पर महामारी के असर को कम किया जा सके।

दिशानिर्देशों में प्रावधान है कि राज्यों को डोर टू डोर सर्वे करके छह से 18 वर्ष के आयु वर्ग के स्कूली बच्चों की पहचान करनी चाहिए और उनके दाखिले के लिए एक कार्य योजना बनानी चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्हें बच्चों के दाखिले और उपस्थिति के लिए माता-पिता और समुदायों को जागरूक करने के उपाय करने चाहिए। इसके लिए 'स्कूल चलो अभियान' जैसे दाखिला अभियान चलाए जा सकते हैं।

जब स्कूल दोबारा खुलें, उन्हें निम्नलिखित करना चाहिए: (i) शुरुआती दौर में स्कूल रेडिनेस मॉड्यूल्स/ब्रिज कोर्स तैयार करना और चलाना ताकि स्टूडेंट्स स्कूल में एडजस्ट कर सकें और तनाव का शिकार न हों, (ii) इस वर्ष ड्रॉपआउट को रोकने के लिए डिटेंशन के नियमों में ढिलाई देना, और (iii) लर्निंग लेवल्स के हिसाब से अलग-अलग ग्रेड्स में स्टूडेंट्स को चिन्हित करना।

## खेल

*Saket Surya (saket@prsindia.org)*

### खेल मंत्रालय ने ड्राफ्ट राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग एक्ट, 2021 पर टिप्पणियां आमंत्रित कीं

युवा मामलों और खेल मंत्रालय ने ड्राफ्ट राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग एक्ट, 2021 को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किया है।[70] एक्ट डोपिंग के अपराध को प्रतिबंधित करने और इसके लिए एक राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग एजेंसी की स्थापना करने का प्रयास करता है जिसमें मौजूदा राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग एजेंसी शामिल हो जाएगी। उल्लेखीय है कि मौजूदा एजेंसी 1860 के सोसायटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड सोसायटी है।[71] ड्राफ्ट नियम की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

- **डोपिंग पर प्रतिबंध**: निम्नलिखित को एंटी-डोपिंग नियम का उल्लंघन माना जाएगा: (i) एथलीट के शरीर में प्रतिबंधित पदार्थ या उसके मार्कर्स की मौजूदगी, (ii) प्रतिबंधित पदार्थों या उसके तरीकों का इस्तेमाल, इस्तेमाल की कोशिश या एथलीट के पास उनका मौजूद होना, (iii) सैंपल देने से इनकार करना, इत्यादि।
- **राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग एजेंसी**: एक्ट राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग एजेंसी की स्थापना करता है जिसमें मौजूदा एजेंसी शामिल होगी। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसका अध्यक्ष होगा। यह एजेंसी निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगी: (i) एंटी-डोपिंग से जुड़ी गतिविधियों की योजना बनाना, समन्वय करना, लागू और उनकी निगरानी करना, और (ii) एंटी-डोपिंग के नियम के उल्लंघनों की जांच करना। एजेंसी एंटी-डोपिंग के नियम के उल्लंघनों पर प्रतिबंध जारी करने के लिए एक डिसिप्लिनरी पैनल बनाएगा। एजेंसी के पास निम्नलिखित के संबंध में एथलीट की सूचना एकत्र करने का अधिकार होगा: (i) सेक्स या जेंडर, (ii) मेडिकल हिस्ट्री, और (iii) प्रतियोगिता के दौरान उसका ठौर-ठिकाना।
- **राष्ट्रीय स्पोर्ट्स एथिक्स और एंटेग्रिटी बोर्ड**: एक्ट एक बोर्ड (एक चेयरपर्सन और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त दो अन्य सदस्य) की स्थापना करता है जोकि खेलों में ईमानदारी और अंतरराष्ट्रीय खेल समझौतों के बारे में सरकार को सुझाव देगा। बोर्ड के पास एजेंसी को निर्देश देने के अधिकार होंगे। एंटी-डोपिंग उल्लंघनों के संबंध में एजेंसी के डिसिप्लिनरी

पैनल के आदेशों के खिलाफ बोर्ड में अपील की जा सकती है।

## खनन

*Saket Surya (saket@prsindia.org)*

### खनिज छूट नियम, 2016 में ड्राफ्ट संशोधन जारी किए गए

खान मंत्रालय ने खान और खनिज (विकास और रेगुलेशन) एक्ट, 1957 के अंतर्गत खनिज (एटॉमिक और हाइड्रो कार्बन्स एनर्जी खनिज के अतिरिक्त) छूट नियम, 2016 में ड्राफ्ट संशोधन जारी किए हैं।[72,73] एक्ट एक्सपायर होने वाली खनन लीज़ के नए लीज़ी के लिए दो वर्ष की अवधि के लिए वैधानिक मंज़ूरियों के हस्तांतरण का प्रावधान करता है।[74] यह प्रावधान कोयला, लिग्नाइट और एटॉमिक खनिजों के अतिरिक्त दूसरे खनिजों की खानों पर लागू है। 2016 के एक्ट में यह अपेक्षित है कि नए लीज़ी को ऐसे उत्पादन जारी रखना है कि डिस्पैच पिछले दो वर्षों के औसत वार्षिक उत्पादन का कम से कम 80% हो।[75] नई लीज़ मिलने की तारीख से पहले दो वर्ष तक यह उत्पादन स्तर बरकरार रखना जरूरी है। निम्नलिखित प्रस्तावित संशोधन न्यूनतम उत्पादन स्तर के पालन के मानदंडों को और मजबूत करना चाहते हैं:

- **लीज़ी के खिलाफ कार्रवाई**: 2016 के नियमों में प्रावधान है कि अगर लीज़ी न्यूनतम उत्पादन की शर्त का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई की जा सकती है। संशोधन में लीज़ी के खिलाफ कार्रवाई करने को हटाया गया है। इसके स्थान पर अगर लीज़ी लगातार तीन तिमाही तक न्यूनतम उत्पादन नहीं करता तो राज्य सरकार उसकी लीज़ खत्म कर सकती है। सुनवाई का उपयुक्त अवसर मिलने के बाद ही लीज़ खत्म की जा सकती है।
- **भुगतान**: लीज़ी से रॉयल्टी सहित कुछ भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है जिसे डिस्पैच किए गए खनिजों के मूल्य के प्रतिशत के रूप में गिना जाता है।[75,76] संशोधनों में निर्दिष्ट किया गया है कि न्यूनतम उत्पादन की शर्त का पालन न करने वाले लीज़ी के लिए भुगतान निर्दिष्ट न्यूनतम उत्पादन की मात्रा के मूल्य के आधार पर गिना जाएगा। भुगतान तिमाही आधार पर किया जाएगा।

***आशय पत्र का ट्रांसफर, अगर सफल बिडर इनसॉल्वेंसी प्रक्रिया में चला जाता है***

खान मंत्रालय ने ऐसे मामलों के सिलसिले में ड्राफ्ट संशोधनों पर टिप्पणियां आमंत्रित की हैं जोकि आशय पत्र के हस्तांतरण से संबंधित हैं। इस संबंध में भी 2016 के नियमों में संशोधन प्रस्तावित हैं।[77] खनन लीज़ के सफल बिडर को आशय पत्र जारी किया जाता है। मंत्रालय ने कहा कि इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी संहिता, 2016 (आईबीसी) के अंतर्गत इनसॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन की प्रक्रिया के अनुसार सफल बिडर की ओनरशिप बदल सकती है।[77] वर्तमान में नियमों में सफल बिडर के नए ओनर को आशय पत्र हस्तांतरित करने का कोई प्रावधान नहीं है।[77] प्रस्तावित संशोधन इस प्रकार हैं:

- **ट्रांसफर के लिए आवेदन**: सफल बिडर का नया ओनर राज्य सरकार को आशय पत्र के हस्तांतरण के लिए आवेदन करेगा। नए ओनर को 1957 के एक्ट के अनुसार खानों की नीलामी में भाग लेने के पात्रता मानदंड को पास करना होगा। राज्य सरकार 90 दिनों के भीतर ट्रांसफर के आवेदन पर फैसला लेगी। वह ट्रांसफर की मंजूरी दे सकती है या लिखित कारण देकर उसे रद्द कर सकती है।

उपरिलिखित ड्राफ्ट संशोधनों पर 5 फरवरी, 2021 तक टिप्पणियां आमंत्रित हैं।[77]

### खनिज (नीलामी) नियम, 2015 में संशोधनों पर टिप्पणियां आमंत्रित

खान मंत्रालय ने खनिज (नीलामी) नियम, 2015 में ड्राफ्ट संशोधनों पर टिप्पणियां आमंत्रित की

हैं।[78,79] 2015 के नियम खानों की नीलामी का प्रावधान करते हैं। संशोधनों के जरिए नीलाम की गई खानों में उत्पादन जल्द शुरू करने को बढ़ावा दिया गया है। 2015 के नियमों के अंतर्गत लीज़ी को डिस्पैच होने वाले खनिजों के मूल्य का कुछ हिस्सा सरकार को देना होता है। संशोधनों में कहा गया है कि अगर लीज़ी उत्पादन की शुरुआत की निश्चित तारीख से पहले डिस्पैच शुरू कर देता है तो उत्पादन की शुरुआत की निश्चित तारीख से पहले डिस्पैच की गई मात्रा के लिए सिर्फ 50% अपेक्षित राशि चुकानी होगी। यह उन खनिज ब्लॉक्स में उत्पादन पर लागू होगा, जिसकी खोज पूरी तरह से कर ली गई है।[78]

संशोधनों पर टिप्पणियां 5 फरवरी, 2021 तक आमंत्रित हैं।[78]

## परिवहन

### अंतर-देशीय परिवहन के नियम अधिसूचित

*Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)*

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अंतर-देशीय परिवहन वाहन नियम, 2021 को अधिसूचित किया है।[80] नियम पड़ोसी देशों के साथ हस्ताक्षरित मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (एमओए) के आधार पर यात्री या माल वाहनों की आवाजाही का प्रावधान करते हैं। निम्नलिखित के बीच बस सेवाओं के लिए चार समान नियम जारी किए गए हैं: (i) अमृतसर-लाहौर, (ii) नई दिल्ली-लाहौर, (iii) अमृतसर-ननकाना साहिब, और (iv) कोलकाता-ढाका।[81] 2021 के नियम सभी पड़ोसी देशों के बीच आवाजाही के लिए एक समान नियम बनाते हैं और देशों के बीच बस सेवाओं के पूर्व नियमों का स्थान लेते हैं। मुख्य प्रावधानों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **परमिट**: नियमों में अंतर-देशीय परिवहन परमिट हासिल करने की प्रक्रिया निर्दिष्ट है। आवेदन के साथ जरूरी फीस और निम्नलिखित दस्तावेज शामिल होने चाहिए: (i) रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, (ii) इंश्योरेंस पॉलिसी, (iii) फिटनेस का सर्टिफिकेट, (iv) वैध परमिट, और (v) प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट।
- नियमों में निम्नलिखित प्रावधान हैं: (i) यात्री वाहनों के पास यात्रियों की नागरिकता का विवरण होना चाहिए, (ii) माल वाहनों के पास अन्य दस्तावेजों के अतिरिक्त वैध इनवॉयस या ई-वे बिल होना चाहिए, और (iii) खतरनाक वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों के पास वैध एक्सप्लोसिव लाइसेंस होना चाहिए।
- **परमिट की अवधि**: परमिट एक वर्ष के लिए वैध होगा और इसके बाद इसे पांच वर्षों के लिए हर साल रीन्यू किया जा सकता है।
- **क्रू**: संबंधित राज्यों के परिवहन और स्वास्थ्य विभागों, इंटेलिजेंस ब्यूरो और राज्य पुलिस जैसी एंटिटीज़ की जिम्मेदारियां हैं। इनमें मेडिकल सुविधाओं के बीच समन्वय, इंटेलिजेंस से संबंधित मसले, और अंतर-देशीय परिवहन सेवा के सुचारू संचालन के लिए सुरक्षा प्रबंध शामिल हैं।

### अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट की शर्तों में संशोधन

*Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)*

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन (पहला संशोधन) नियम, 2021 को अधिसूचित किया है।[82] ये नियम अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (आईडीपी) हासिल करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन करते हैं।[83] संशोधनों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **जरूरी दस्तावेज**: वर्तमान में आईडीपी के आवेदन के लिए कई दस्तावेजों की जरूरत होती है जैसे वैध ड्राइविंग लाइसेंस, भारतीय नागरिता का प्रूफ, पासपोर्ट का प्रूफ, वीजा प्रूफ और मेडिकल सर्टिफिकेट इत्यादि। संशोधन में मेडिकल सर्टिफिकेट और वीजा प्रूफ की अनिवार्यता को हटाया गया है।

- **शुल्क**: आईडीपी के आवेदन के शुल्क को 500 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए किया गया है।
- **आवेदन फॉर्म के विवरण**: वर्तमान में आवेदक को अपने आवेदन फॉर्म में बताना होता है कि क्या उसे ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के अयोग्य ठहराया गया है, और इसका कारण क्या था। संशोधन में कहा गया है कि आवेदक को यह भी बताना होगा कि क्या उसे उस देश में ड्राइविंग से रोका गया है, और इसका कारण क्या था।

## मुख्य बंदरगाहों के लिए ड्राफ्ट ड्रेजिंग दिशानिर्देश जारी किए गए

*Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)*

शिपिंग मंत्रालय ने मुख्य बंदरगाहों के लिए ड्राफ्ट ड्रेजिंग दिशानिर्देशों को जारी किया है।[84] ये दिशानिर्देश इस संबंध में 2016 में जारी दिशानिर्देशों का स्थान लेते हैं।[85] ड्रेजिंग समुद्र की सतह की सफाई की प्रक्रिया होती है जिससे जहाजों की आवाजाही आसान होती है। इसमें निम्नलिखित शामिल हो सकता है: (i) मेनटेनेंस ड्रेजिंग के जरिए जमा वस्तुओं को हटाना, और (ii) कैपिटल ड्रेजिंग के जरिए मिट्टी और तलछटी पत्थरों को हटाकर डीपनिंग। ड्राफ्ट दिशानिर्देश भारत के सभी मुख्य बंदरगाहों में सभी प्रकार की ड्रेजिंग को रेगुलेट करने का प्रयास करते हैं। ड्राफ्ट दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **प्रॉजेक्ट्स**: ड्राफ्ट दिशानिर्देशों में ड्रेजिंग प्रॉजेक्ट्स की योजना, उन्हें लागू करने, उनकी निगरानी और नियंत्रण करने के मानदंड निर्दिष्ट किए गए हैं। ड्रेजिंग कॉन्ट्रैक्टर को बिडिंग या नॉमिनेशन के जरिए चुना जा सकता है। वित्तीय व्यवहार्यता, समय योजना, उपयुक्त उपकरण और परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक रोडमैप सहित घटकों पर ध्यान देने के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को एक निर्दिष्ट प्रारूप में बनाया जाना चाहिए। ऐसा दिशानिर्देशों के अनुपालन और विकास के प्रत्येक चरण में निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए।
- **सर्वे:** ड्रेजिंग से पहले और बाद में निम्नलिखित का मानकीकृत सर्वेक्षण होना चाहिए: (i) जल सतह की टोपोग्राफी को समझने के लिए बाथीमेट्री (पानी की गहराई का अध्ययन), और (ii) तलछह और पत्थरों की परत को समझने के लिए भूभौतिकीय परिवेश।
- **पर्यावरणीय प्रबंधन:** ड्राफ्ट दिशानिर्देशों में कहा गया है कि ड्रेजिंग से पर्यावरणीय अशांति होती है। संरक्षण और प्रॉजेक्ट से कम से कम नुकसान को सुनिश्चित करने के लिए प्रॉजेक्ट की योजना और उस पर विचार विमर्श के प्रत्येक चरण में पर्यावरणीय प्रभाव और जोखिम शमन का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए ड्रेजिंग प्रॉजेक्ट की योजना बनाते समय ड्रेजेड सामग्री के री-यूज या रीसाइकलिंग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कैपिटल ड्रेजिंग के मामलों में पर्यावरणीय मंजूरी भी अनिवार्य है।

## ड्राफ्ट एयरक्राफ्ट (संशोधन) नियम, 2021 पर टिप्पणियां आमंत्रित

*Aditya Kumar (aditya@prsindia.org)*

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ड्राफ्ट एयरक्राफ्ट (संशोधन) नियम, 2021 पर टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।[86] ड्राफ्ट नियम एयरक्राफ्ट नियम, 1937 में संशोधन करने का प्रयास करते हैं।[87] ड्राफ्ट नियमों की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **आदेशों के खिलाफ अपील**: ड्राफ्ट नियम केंद्र सरकार के आदेशों के खिलाफ अपील की अवधि को 60 दिन से घटाकर 30 दिन करते हैं। इसके अतिरिक्त नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के आदेशों के खिलाफ अपील सचिव, नागरिक उड्डयन मंत्रालय को की जा सकती है। निम्नलिखित

के खिलाफ अपील की अनुमति नहीं है: (i) सचिव, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के आदेश, और (ii) किसी घटना (जैसे दुर्घटना) की जांच से संबंधित आदेश।

- **अपराधों की कंपाउंडिंग:** ड्राफ्ट नियम निर्दिष्ट करते हैं कि अपराधों की कंपाउंडिंग का अनुरोध करने वाले व्यक्ति को डीजीसीए में आवेदन करना चाहिए। डीजीसीए को आवेदन की तारीख से 60 दिन के भीतर फैसला देना होगा (असामान्य स्थितियों में 90 दिनों के भीतर)। अपराधों की कंपाउंडिंग वह प्रक्रिया होती है जब डीफॉल्टर चूक की माफी के लिए कंपाउंडिंग अथॉरिटी को आवेदन करता है।

  आवेदक को कंपाउंडिंग के फैसले की तारीख के 30 दिनों के भीतर 10,000 रुपए से लेकर 25 लाख रुपए के बीच की कंपाउंडिंग राशि चुकानी होगी। ऐसा न करने पर यह माना जाएगा कि आवेदन कभी दायर ही नहीं किया गया। यह राशि छोटे (50 कर्मचारी तक), मध्यम (50-100 कर्मचारी) और बड़े (100 से अधिक कर्मचारी) संगठनों के लिए क्रमशः 200%, 300% और 400% होगी।

- **जुर्माना:** ड्राफ्ट नियम उल्लंघनों को उनकी गंभीरता के आधार पर वर्गीकृत करते हैं (1 से 10 तक) और उनके लिए मौद्रिक जुर्माने निर्दिष्ट करते हैं। जैसे नागरिकता और रजिस्ट्रेशन मार्क्स के उल्लेख के बिना एयरक्राफ्ट उड़ाना गंभीरता के स्तर 10 का उल्लंघन होगा।

  गंभीरता के स्तर 1 से 10 में अपराधों के लिए मौद्रिक जुर्माने के क्रम इस प्रकार है: (i) व्यक्तियों के लिए 10,000 रुपए से 25 लाख रुपए, (ii) छोटे संगठनों के लिए 50,000 रुपए से लेकर 50 लाख रुपए (iii) मध्यम संगठनों के लिए 75,000 रुपए से 75 लाख रुपए, और (iv) बड़े संगठनों के लिए एक लाख रुपए से एक करोड़ रुपए के बीच।

ड्राफ्ट नियमों पर 9 फरवरी, 2021 तक टिप्पणियां आमंत्रित हैं।

## पर्यावरण

*Aditya Kumar (aditya@prsindia.org)*

### उद्योग नारंगी रंग की श्रेणी में वर्गीकृत

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कुछ उद्योगों को नारंगी रंग की श्रेणी में वर्गीकृत किया है।[88] पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रदूषण इंडेक्स स्कोर के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत किया है।[89] प्रदूषण सूचकांक 0 से 100 अंकों वाला एक स्केल होता है जोकि उद्योगों की प्रदूषण की संभाव्यता को मापता है। मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट श्रेणियां निम्नलिखित अंकों पर आधारित हैं:

- सफेद: 20 तक के अंक,
- हरा: 21 से 40 के बीच के अंक,
- नारंगी: 41 से 59 के बीच के अंक, और
- लाल: 60 और उससे अधिक अंक।

इनमें जिन उद्योगों को वर्गीकृत किया गया है, वे हैं: (i) 20,000 वर्ग मीटर के बिल्ड अप एरिया वाले और हर दिन 50 किलो लीटर या उससे अधिक वेस्ट वॉटर जनरेशन करने वाले भवन निर्माण और निर्माण प्रॉजेक्ट्स, (ii) निर्माण और डेमोलिशन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट्स, और (iii) गोल्ड एसेइंग और हॉलमार्किंग सेंटर्स। अगर संबंधित भवन निर्माण और निर्माण प्रॉजेक्ट्स का वेस्ट वॉटर जनरेशन हर दिन 100 किलो लीटर या उससे अधिक है तो प्रॉजेक्ट्स को लाल रंग की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा।

वर्गीकरण का उद्देश्य जिम्मेदारीपूर्ण व्यापार करने की सुगमता बढ़ाना है। सफेद रंग की श्रेणी वाले संगठनों को छोड़कर सभी संगठनों को भवन निर्माण या संबंधित गतिविधियों (जैसे आधुनिकीकरण और विस्तार) को शुरू करने से पहले संबंधित रेगुलेटरी अथॉरिटी से मंजूरी लेनी होगी।

[1] Bulletin II, Lok Sabha, January 29, 2021, http://loksabhadocs.nic.in/bull2mk/2021/29012021.pdf.

[2] Ministry of Health and Family Welfare website, last accessed on January 31, 2021, https://www.mohfw.gov.in/index.html.

[3] "Press Statement by the Drugs Controller General of India (DCGI) on Restricted Emergency approval of COVID-19 virus vaccine", Press Information Bureau, Ministry of Health and Family Welfare, January 3, 2021.

[4] "India continues its streak of decline in active caseload; at 2.14 lakh after 197 days", Press Information Bureau, Ministry of Health and Family Welfare, January 3, 2021.

[5] Order No. 40-3/2020-DM-I(A), Ministry of Home Affairs, March 24, 2020, https://www.mha.gov.in/sites/default/files/MHAorder%20copy.pdf

[6] Order No. 40-3/2020-DM-I(A), Ministry of Home Affairs, January 29, 2021, https://www.mha.gov.in/sites/default/files/MHAorderdt_27012021.pdf.

[7] Standard Operating Procedure for Epidemiological Surveillance & Response for the new variant of SARS-CoV-2 in the context of regulated resumption of limited flights originating from United Kingdom (UK) to India from 8th January, 2021, Ministry of Health and Family Welfare, January 1, 2021, https://www.mohfw.gov.in/pdf/SOPforthenewvariantofSARSCoV2inthecontextofregulatedresumptionoflimitedflightsoriginatingfromUnitedKingdomUKtoIndiafrom8thJanuary2021.pdf.

[8] Standard Operating Procedure for epidemiological surveillance and response in the context of new variant of SARS-CoV-2 virus detected in United Kingdom, Ministry of Health and Family Welfare, December 22, 2020, https://www.mohfw.gov.in/pdf/SOPforSurveillanceandresponseforthenewSARSCov2variant.pdf.

[9] Update on New Strain of novel Coronavirus from U.K., Press Information Bureau, Ministry of Health and Family Welfare, January 4, 2021.

[10] Circular No. 4/1/2020-IR – Travel and Visa restrictions related to COVID-19, January 28, 2021, https://dgca.gov.in/digigov-portal/Upload?flag=iframeAttachView&attachId=150258827.

[11] Circular No. 4/1/2020-IR – Travel and Visa restrictions related to COVID-19, December 30, 2020, https://twitter.com/DGCAIndia/status/1344227865244495873/photo/1.

[12] Order No. 12/2021, Ministry of Civil Aviation, January 8, 2021, https://www.civilaviation.gov.in/sites/default/files/order-regarding-fare-capping.pdf.

[13] Order No. 01/2020, Ministry of Civil Aviation, May 21, 2020, https://www.civilaviation.gov.in/sites/default/files/DOC052220-05222020133918.pdf.

[14] Order No. 02/2020, Ministry of Civil Aviation, May 21, 2020, https://www.civilaviation.gov.in/sites/default/files/MoCA_Order_No_02_2020_dated_classification_and_fare_bands.pdf

[15] Order No. 07/2020, Ministry of Civil Aviation, October 29, 2020, https://www.civilaviation.gov.in/sites/default/files/DOC102920-10292020164648.pdf.

[16] S.O. 221 (E), Ministry of Environment, Forest and Climate Change, January 18, 2021, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/224513.pdf.

[17] S.O. 1533 (E): Environment Impact Assessment Notification, 2006, September 14, 2006, Ministry of Environment and Forests, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2006/E_1067_2011_003.pdf.

[18] Economic Survey 2020-21, Ministry of Finance, https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/.

[19] First Advance Estimates of National Income 2020-2021, Press Release, National Statistical Office, Ministry of Statistics and Programme Implementation, January 7, 2021, https://www.mospi.gov.in/documents/213904/416359//Presss%20note_FAE-2020-211610021181596.pdf/.

[20] Estimates of Gross Domestic Product for the First Quarter (April-June) 2020-2021, Press Release, National Statistical Office, Ministry of Statistics and Programme Implementation, August 31, 2020, https://www.mospi.gov.in/documents/213904/416359//PRESS_NOTE-Q1_2020-211600848053724.pdf/ba52cc47-515e-663f-11e1-5fc6dd2fac2c.

[21] Estimates of Gross Domestic Product for the Second Quarter (July-September) 2020-2021, Press Release, National Statistical Office, Ministry of Statistics and Programme Implementation, November 27, 2020, https://www.mospi.gov.in/documents/213904/416359/PRESS_NOTE-Q2_2020-211606480008567.pdf/f2b98a11-a06d-8b6f-6f37-621f33ca8f25.

[22] "Consumer Price Index Numbers on Base 2012=100 for Rural, Urban and Combined for the Month of December 2020", Press Release, Ministry Of Statistics And Programme Implementation, January 12, 2021, https://www.mospi.gov.in/documents/213904/416359//CPI%20Press%20Release%20December%2020201610453658587.pdf/36d9685c-d07a-1b64-c72b-e263ff3b6073.

[23] "Index Numbers of Wholesale Price in India for the month of December, 2020", Press Release, Ministry of Commerce & Industry, January 14, 2021, https://www.eaindustry.nic.in/pdf_files/cmonthly.pdf.

[24] Order dated January 12, 2021, Rakesh Vaishnav vs Union of India, W.P.(C) No. 1118/2020, Supreme Court of India, https://main.sci.gov.in/supremecourt/2020/21097/21097_2020_31_19_25372_Order_12-Jan-2021.pdf.

[25] The Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020, Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare, September 27, 2020, http://www.egazette.nic.in/WriteReadData/2020/222039.pdf.

[26] The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Act, 2020, Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare, September 27, 2020, http://www.egazette.nic.in/WriteReadData/2020/222040.pdf.

[27] The Essential Commodities (Amendment) Act, 2020, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, September 27, 2020, http://www.egazette.nic.in/WriteReadData/2020/222038.pdf.

[28] "Committee Members Profile", Committee On Farm Laws, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, January 29, 2021, https://farmer.gov.in/SCCommittee/POMembers.html.

[29] "Cabinet approved Minimum Support Price of Copra for 2021 season", Press Information Bureau, Cabinet Committee on Economic Affairs, January 27, 2021.

[30] CG-DL-E-08012021-224291, Gazette of India, Department of Animal Husbandry and Dairying, January 8, 2021, http://www.egazette.nic.in/WriteReadData/2021/224291.pdf.

[31] The Unique Health Identifier Rules, 2021 Ministry of Health and Family Welfare, January 1, 2021, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/224099.pdf.

[32] The Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Amendment Act, 2020, Ministry of Health and Family Welfare, January 1, 2021, https://www.prsindia.org/sites/default/files/Cigarettes_and_Other_Tobacco_Products_Prohibition_of_Advertisement_and_Regulation_of_Trade_and_Commerce_Production_Supply_and_Distribution_Amendment_Bill_2020.pdf.

[33] the Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003, Ministry of Legislative Affairs, http://legislative.gov.in/sites/default/files/A2003-34.pdf.

[34] The Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Ordinance, 2021, https://www.prsindia.org/sites/default/files/bill_files/The%20Jammu%20and%20Kashmir%20Reorganisation%20%28Amendment%29%20Ordinance%2C%202021.pdf.

[35] "Union Home Minister launched 'Ayushman CAPF' Scheme", Press Information Bureau, Ministry of Home Affairs, January 23, 2021.

[36] 'About Ayushman CAPF', PMJAY, https://pmjay.gov.in/ayushmancapf/ayushman-capf.

[37] Report of the Working Group (WG) to examine and recommend linking of motor insurance premium with traffic violations, Insurance Regulatory and Development Authority of India, https://www.irdai.gov.in/ADMINCMS/cms/whatsNew_Layout.aspx?page=PageNo4344&flag=1.

[38] "Working Group to examine and recommend linking of motor insurance premium with traffic violations", Insurance Regulatory and Development Authority of India, September 6, 2019, https://www.irdai.gov.in/ADMINCMS/cms/whatsNew_Layout.aspx?page=PageNo3893&flag=1.

[39] Order Re Constitution of Health Insurance Advisory Committee, Insurance Regulatory and Development Authority of India, January 13, 2021, https://www.irdai.gov.in/ADMINCMS/cms/whatsNew_Layout.aspx?page=PageNo4340&flag=1.

[40] Discussion paper on "Review of Ownership and Governance norms for facilitating new entrants to set up Stock Exchange / Depository", Securities and Exchange Board of India, January 6, 2021, https://www.sebi.gov.in/reports-and-statistics/reports/jan-2021/discussion-paper-on-review-of-ownership-and-governance-norms-for-facilitating-new-entrants-to-set-up-stock-exchange-depository-_48679.html.

[41] Discussion Paper on Revised Regulatory Framework for NBFCs- A Scale-based Approach, Reserve Bank of India, January 22, 2021, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/DP220121630D1F9A2A51415B98D92B8CF4A54185.PDF.

[42] Large Exposure Framework, Reserve Bank of India, June 3, 2019, https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11573&Mode=0.

[43] Report of the Working Group (WG) to Study Cyber Liability Insurance, Insurance Regulatory and Development Authority of India, https://www.irdai.gov.in/ADMINCMS/cms/whatsNew_Layout.aspx?page=PageNo4348&flag=1.

[44] "Reserve Bank constitutes a Working Group on digital lending including lending through online platforms and mobile apps", Press Release, Reserve Bank of India, January 13, 2021.

[45] The Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Amendment Rules, 2021 Ministry of Corporate Affairs, http://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/CSRAmendmentRules_22012021.pdf.

[46] Section 135, Companies Act, 2013.

[47] Notice for Invitation of comments from public on Pre-packaged Insolvency Resolution Process under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, Ministry of Corporate Affairs, January 08, 2021, http://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/NoticeInvitation_08012021.pdf.

[48] The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, https://ibbi.gov.in//uploads/legalframwork/2020-09-23-232605-8ldhg-e942e8ee824aa2c4ba4767b93aad0e5d.pdf.

[49] The Companies (Amendment) Act, 2019, https://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/AMENDMENTACT_01082019.pdf.

[50] The Companies (Amendment) Act, 2020, https://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/AmendmentAct_29092020.pdf.

[51] Report of the Company Law Committee on Decriminalization of the Limited Liability Partnership Act, 2008, http://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/Report%20of%20the%20Company%20Law%20Committee%20on%20Decriminalization%20of%20The%20Limited%20Liability%20Partnership%20Act,%202008.pdf.

[52] "Government approves Central Sector Scheme for Industrial Development of Jammu & Kashmir", Press Information Bureau, Ministry of Commerce & Industry, January 07, 2021.

[53] The Industrial Development Scheme for Jammu and Kashmir, Ministry of Commerce and Industry, April 23, 2018, https://dipp.gov.in/sites/default/files/Notification_J%26K_07May2018_0.pdf.

[54] Notification F. No. 2(2)/2018-SPS, Ministry of Commerce and Industry, March 31, 2020, https://dipp.gov.in/sites/default/files/IDS_Notification_12June2020.pdf.

[55] Land Rules, State Industrial Development Corporation, Jammu & Kashmir.

[56] S.O. 414(E), e-Gazette, Ministry of Commerce & Industry, January 21, 2021, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/224761.pdf.

[57] Guidelines for Startup India Seed Fund Scheme, https://www.startupindia.gov.in/content/dam/invest-india/Templates/public/Guidelines%20for%20Startup%20India%20Seed%20Fund%20Scheme.pdf.

[58] Aatmanirbhar Bharat Rojgar Yojana, Scheme Guidelines, Ministry of Labour and Employment, https://labour.gov.in/sites/default/files/Aatmanirbhar_Bharat_Rojgar_Yojana.pdf.

[59] Draft Model Standing Orders 2020 for manufacturing sector and mines, Ministry of Labour and Employment, December 31, 2020, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2020/224088.pdf.

[60] Draft Model Standing Orders 2020 for service sector, Ministry of Labour and Employment, December 31, 2020, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2020/224080.pdf.

[61] The Industrial Relations Code, 2020, https://www.prsindia.org/sites/default/files/bill_files/Industrial%20Relations%20Code%2C%202020.pdf.

[62] Industrial Employment (Standing Orders) Central Rules, 1946, Ministry of Labour and Employment, December 18, 1946, https://labour.gov.in/sites/default/files/INDUSTRIALEMPLOYMENT(STANDINGORDERS)1CENTRALRULES1946.pdf.

[63] Report No 14, Standing Committee on Social Justice and Empowerment (2020-21), "The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens (Amendment) Bill, 2019", January 2021, http://164.100.47.193/lsscommittee/Social%20Justice%20&%20Empowerment/17_Social_Justice_And_Empowerment_14.pdf.

[64] No. T-11012/18/2020-Conf, Department of Telecommunications, January 6, 2021, https://dot.gov.in/sites/default/files/DoT%20Website%20notice%20for%20Comments%20on%20Spectrum%20Roadmap.pdf?download=1.

[65] Standard Operating Procedure (Sop- 2020) for Telecommunication Services for Responding to Disasters, Department of Telecommunications, January 2021, https://dot.gov.in/sites/default/files/2021_01_06%20SOP-2020%20DM.pdf?download=1.

[66] UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) (Amendments) Regulations 2021, University Grants Commission, January 1, 2021, https://www.ugc.ac.in/pdfnews/1789815_IoE-Regulation(Deemed)-Jan2021.pdf.

[67] "20 Institutions recommended for status of 'Institutions of Eminence'", Press Information Bureau, Ministry of Education, August 2, 2019.

[68] National Education Policy, Ministry of Education, July 2020, https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf.

[69] "Ministry of Education issues guidelines for identification, admission and continued education of migrant children", Press Information Bureau, Ministry of Education, January 10, 2021.

[70] "Invitation of comments from relevant stakeholders and public on the Draft National Anti-Doping Act, 2021", Department of Sports, Ministry of Youth Affairs and Sports, January 14, 2021, https://yas.nic.in/sites/default/files/NOTICE - Draft National Anti Doping Act, 2021.pdf.

[71] National Anti-Doping Agency, Ministry of Youth Affairs and Sports, https://www.nadaindia.org/en/about-us.

[72] Draft of the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession (Amendment) Rules, 2021, Ministry of Mines, January 2021, https://mines.gov.in/writereaddata/UploadFile/noticeforPLCP15012021.pdf.

[73] The Minerals (Other than Atomic and Hydro-Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016, https://ibm.gov.in/writereaddata/files/10202016094948MCR_2016_18092016%20from%20SKS.pdf.

[74] Section 8A, The Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1421/1/A1957-67.pdf.

[75] Rule 12A, The Minerals (Other than Atomic and Hydro-Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2020/218835.pdf.

[76] Rule 13, Mineral (Auction) Rules, 2015. https://upload.indiacode.nic.in/showfile?actid=AC_CEN_15_16_00002_195767_1517807322197&type=rule&filename=Mineral%20(Auction)%20Rules,%202015.pdf.

[77] Draft of the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession (Amendment) Rules, 2021 (Insertion of Section 23A), Ministry of Mines, January 2021, https://mines.gov.in/writereaddata/UploadFile/NOTICE21012021.pdf.

[78] Draft of the Mineral (Auction) Amendment Rules, 2021, Ministry of Mines, January 2021, https://mines.gov.in/writereaddata/UploadFile/notice23012021.pdf.

[79] The Mineral (Auction) Rules, 2015, https://www.mines.gov.in/writereaddata/UploadFile/Mineral%20(Auction)%20Rules,%202015.pdf.

[80] G.S.R. 25(E), Ministry of Road Transport and Highways, January 15, 2021, https://morth.nic.in/sites/default/files/notifications_document/GSR%2025%28E%29%20Inter-Country%20%20Transport%20%20Vehicles%20Rules%2C%20%202021.pdf.

[81] Ministry of Road Transport and Highways notifies rules for facilitating MOUs with neighbouring countries on movement of passenger and goods vehicles, Press Information Bureau, Ministry of Road Transport and Highways January 19, 2021.

[82] G.S.R. 15(E), Ministry of Road Transport and Highways, January 7, 2021, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/224303.pdf.

[83] The Central Motor Vehicles Rules, 1989, Ministry of Road Transport and Highways, https://cdn.s3waas.gov.in/s33dc4876f3f08201c7c76cb71fa1da439/uploads/2018/05/2018051237.pdf.

[84] Draft Guidelines for Major Ports, Ministry of Shipping, January 1, 2021, http://shipmin.gov.in/sites/default/files/Draft%20guidelines%20for%20comments_compressed.pdf.

[85] Guidelines on Undertaking Dredging at Major Ports, Ministry of Shipping, 2016, http://sagarmala.gov.in/sites/default/files/dredgeguidelinesAugust2016-30146365.pdf.

[86] G.S.R. 42 (E), Ministry of Civil Aviation, January 25, 2021, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/224682.pdf.

[87] The Aircraft Rules, 1937, Department of Industries and Labour Notification, March 23, 1937, https://upload.indiacode.nic.in/showfile?actid=AC_CEN_36_0_00013_193422_1523351174422&type=rule&filename=Aircraft%20Rules%201937.pdf .

[88] CPCB/IPC-VI/ROGW/ - Harmonization of Classification of Industrial Sectors into Red, Orange, Green, and White Categories, Central Pollution Control Board, January 12, 2021, https://cpcb.nic.in/openpdffile.php?id=TGF0ZXN0RmlsZS8z

MTVfMTYxMDYyMzg5NV9tZWRpYXBob3RvNjc0MC5wZGY=.

[89] Environment Ministry releases new categorisation of industries, Press Information Bureau, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, March 5, 2016.

**अस्वीकरणः** प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।